

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2025—चैत्र 21, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

क्र. ई-1-47-2025-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अजय श्रीवास्तव (2013), कलेक्टर, जिला मऊगंज.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).

2195

(1)	(2)	(3)
2.	श्री संजय कुमार जैन (2015), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला मऊगंज.

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2025

क्र. ई-1-39-2025-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 9-7-2025-EO (MM-I), दिनांक 20 मार्च, 2025 के अनुक्रम में, श्री प्रवीण सिंह अढायच, भाप्रसे (2012), संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत उपसचिव के समक्ष Private Secretary to the Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development (Shri Shivraj Singh Chouhan) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के कार्यकाल अवधि के को-टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री अढायच माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.

क्र. ई-1-48-2025-5-एक.—श्री भास्कर लक्षकार, भाप्रसे (2010), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग घोषित किया जाता है.

क्र. ई-1-51-2025-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री आशीष भार्गव (2012), पदस्थापना के लिए प्रतिक्षारत.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (DMI), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2025

क्र. GAD-6-0013-2025-GAD-1-एक-(GAD).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक बी-805-(दो-1-21-2023), दिनांक 28 फरवरी, 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 10 से 12 मार्च, 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 मार्च, 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. GAD-6-0018-2025-GAD-1-एक-(GAD).—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायाधिपति, श्री सतीश कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त) को महालेखाकार कार्यालय के पत्र क्रमांक टीएम-अ.न.-D1060, दिनांक 18 मार्च 2025 के अनुक्रम में, माननीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा स्थानांतरण पर अप्रयुक्त कार्यभार ग्रहण अवधि दस दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2025

क्र. GAD-6-0009-2025-GAD-1-एक-(GAD).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक ए-1727(दो 1-6-2024), दिनांक 7 मार्च 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2025

फा. क्र. 1049-इक्कीस-ब(दो)-2025.—राज्य शासन, एतद्वारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18(1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये इस विभाग के आदेश क्र. 2696-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 19 सितम्बर 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री कपिल गौर को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

फा. क्र. 1137-इक्कीस-ब(दो)-2025.—राज्य शासन, श्री मनीष दवे, अस्थायी डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल को आदेश जारी होने के दिनांक से डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल के पद पर स्थायीकरण करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2025

पंजी. क्र. 1180-इक्कीस-ब(दो)-2025.—राज्य शासन, श्री प्रकाश अग्रवाल, नोटरी, तहसील महु, जिला इन्दौर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर समुचित जाँच उपरांत नोटरी नियम, 1956 के नियम 13(ख) (III) के अधीन श्री प्रकाश अग्रवाल, नोटरी, तहसील महु, जिला इन्दौर द्वारा "नोटरी के सिद्ध हुए अवचार की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार" "चेतावनी" की शास्ति अधिरोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अतिरिक्त सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2025

क्र. एफ 11-5-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर श्री सिबि चक्रवर्ती एम. तत्कालीन आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के स्थान पर श्री कर्मवीर शर्मा, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल को संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2025

क्र. 595-2766739-25-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जबलपुर	जबलपुर	श्रीमती रूचि गोलस, JMFC
2	सागर	सागर	सुश्री सुरभि सिंह सुमन, JMFC

No. 595-2766739-25-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government, hereby, designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jabalpur	Jabalpur	Smt. Ruchi Golas, JMFC
2	Sagar	Sagar	Sushri Surbhi Singh Suman, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 18 मार्च 2025

संशोधित आदेश

क्र. 2655-व.लि.1-न.क्र. 305-2024.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शीतला पटले, कलेक्टर, नरसिंहपुर, वर्ष 2025 हेतु पूर्व में जारी आदेश क्र. 5-व.लि.1-न.क्र. 305-2024, नरसिंहपुर, दिनांक 1 जनवरी 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, नरसिंहपुर जिले के लिए निम्नानुसार तिथियों को, पूरे दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ :—

क्र. (1)	दिनांक (2)	दिवस (3)	त्यौहार का नाम (4)	विशेष (5)
1.	19 मार्च 2025	बुधवार	रंगपंचमी	परंपरागत त्यौहार
2.	30 सितम्बर 2025	मंगलवार	दुर्गा अष्टमी	परंपरागत त्यौहार

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागार, उप-कोषागार एवं बैंकों पर लागू नहीं होगा.

टीप.—पूर्व जारी आदेश क्र. 5, दिनांक 1 जनवरी 2025 द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2025 (मकर संक्रांति) का प्रथम स्थानीय अवकाश दिया जा चुका है.

शीतला पटले कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2025

क्र. F-15-19-2010-दस-2.—राज्य शासन की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर 2024 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 2 दिसम्बर 2024 को प्रकाशित हुई है, के द्वारा रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्वारा, रातापानी टाइगर रिजर्व का नामकरण "पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर, टाइगर रिजर्व, रातापानी" करता है.

No. F-15-19-2010-X-2.—The State Government has declared the Ratapani Tiger Reserve *vide* the notification of even number dated 2nd December 2024 published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) dated 2nd December 2024.

2.The State Government hereby names the Ratapani Tiger Reserve as "Padmashri Dr. Vishnu Shridhar Wakankar Tiger Reserve, Ratapani".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2025

क्रमांक/PCCF/7/0006/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला :- सिंगरौली

वनमंडल :- सिंगरौली

तहसील :- चितरंगी

वन परिक्षेत्र:- कर्धुआ

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	कोसर	पिपरी	राजस्व भूमि	245/2/2	17.00 हे०	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 9 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से मुनारा क्रमांक 10 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से आरक्षित वनखण्ड कोसर-7 वन कक्ष क्र. आर.एफ. 870 के मुनारा क्रमांक 40/20 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं आरक्षित वनखण्ड कोसर-7 वन कक्ष क्र. आर.एफ. 870 के मुनारा क्रमांक 40/20 से मुनारा क्रमांक 39/21 तक की वनसीमा। पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड कोसर-7 वन कक्ष क्र. आर.एफ. 870 के मुनारा क्रमांक 39/21 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 होते हुये 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग:-	17.00 हे०	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 151448 रकवा 4.9627 हे०, प्रकरण क्रमांक 151757 रकवा 4.8057 हे. एवं प्रकरण क्रमांक 426197 रकवा 4.4640 हे. की सैद्धांतिक स्वीकृति अप्राप्त (म.प्र. जल निगम मर्यादित परि.क्रि.ई. सिंगरौली) जिसमें पाईप लाईन बिछाने में कुल प्रभावित रकवा 14.2324 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल रकवा 17.00 हे. गैर भूमि उपरोक्त वर्णित भूमि रकवा 17.00 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के संशोधित आदेश क्रमांक 55/अ-20(3)/2022-23 सिंगरौली, दिनांक 26.06.2024 से हस्तांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 55/अ-20(3)/2022-23 सिंगरौली, दिनांक 26.06.2024 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2025

क्र. PCCF-7-0006-2024-FLR-PCCF .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0006-2024-FLR-PCCF, दिनांक 1 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 1st April 2025

No./PCCF/7/0006/2024-FLR-PCCF :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas. Specified in the schedule below, Subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by that state Government from time to time.

SCHEDULE

District -Singrauli

Tahsil - Chitrangi

Forest Division -Singrauli

Forest Range – Karthua

S. No.	Name of proposed Forest Block	Details of Land included				Area (Hectare)	Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No. Old/New			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Korsar	Pipari	Revenue Land	245/2/2	17.00	<p>North:- Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 9 of proposed protected forest block.</p> <p>East:- Artificial forest boundary from Pillar No. 9 to Pillar No. 10 of proposed protected forest block.</p> <p>South:- Artificial forest boundary from Pillar No. 10 of the proposed protected forest block to Pillar no. 40/20 of Reserve forest block Kosar-7 and Forest Boundary from Pillar no. 40/20 to Pillar no. 39/21 of Reserve forest block kosar-7.</p> <p>West:- Artificial forest boundary from Pillar No. 39/21 of Reserve forest block kosar-7 to Pillar No. 1 via 24 of proposed protected forest block.</p>	
				Total:-	17.00		

A. Reason for Publication of Notification :-

1 – in accordance with condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi by Principal Approval has not been received in the proposal no. 151448 area 4.9627 ha., proposal no. 151757 area 4.8057 ha. proposal number 426197 area 4.4640 ha. and in Lieu of 14.2324 hectare out of 17.00 hectare sanctioned. Affected forest land under the sanctioned Pipe Line Project of Jal Nigam the above mentioned Non Forest Land of 17.00 Hectare Transferred or muted in favor of Madhya Pradesh, Forest Department by Revised order No. 55/अ-20(3)/2022-23 Singrauli, Dated 26.06.2024 of Collector, Distt. Singrauli for the Purpose of Compensatory afforestation.

2- Detail of other Reasons – Nil

B. The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per Revised order No. 55/अ-20(3)/2022-23 Singrauli, Dated 26.06.2024 of Collector, Distt. Sidhi are as Under.

1. - Individuals Rights :- Nil.
2. - Communities Rights :- Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2025

क्रमांक/PCCF/7/0100/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 19 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा 3 अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - आगर मालवा

तहसील - बड़ौदा

वनमंडल - सामान्य शाजापुर

वन परिक्षेत्र - आगर

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	चिपिया अ	चिपिया	बड़ी	19	0.12	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 39 से 46, 46 से 1 एवम 1 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			बड़ी	22	0.24	
			बड़ी	23	0.27	
			बड़ी	25	1.00	पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			बड़ी	26	0.10	
			बड़ी	27	1.55	
			बड़ी	85	2.75	दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 26, 26 से संरक्षित वनखण्ड चिपिया के मुनारा क्रमांक 2 तक कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड चिपिया के मुनारा क्रमांक 2 से 1 तक वनसीमा तथा संरक्षित वनखण्ड चिपिया के मुनारा क्रमांक 1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 27 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			बड़ी	1344	16.21	
			बड़ी	1345	0.03	
			बड़ी	1346	0.03	
			बड़ी	1347	0.25	
			बड़ी	1348	0.07	
			बड़ी	1349	0.04	
बड़ी	1350	1.81				

			का.का.	1351	0.42	पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 27 से 39 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			घारागाह	1353/2	21.10	
			बडी	1362	1.86	
			योग	17	47.85	
2	धिपिया ब	धिपिया	शास.गैर वनभूमि	1368	0.70	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			बडी	1369	2.29	पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 48 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			बडी	1461	12.96	
			बडी	1462	0.76	
			बडी	1473	4.70	दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 48 से 64 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			शास.गैर वनभूमि	1707	0.52	
			बडी	1708	14.11	
			इमारती लकड़ी हेतु	1719	6.68	पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 64 से मुनारा क्रमांक 102 एवं 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			बडी	1720	0.66	
			बडी	1721	0.84	
			बडी	1722	0.71	
			शास.गैर वनभूमि	1723	0.09	
			बडी	1724	5.31	
			बडी	1732	0.07	
			बडी	1733	0.24	
			बडी	1737	3.91	
			बडी	1914	3.15	
			बडी	1932	0.16	
			बीड़	1941	0.08	
			बीड़	1982	1.46	
			बीड़	1983	16.68	
			बीड़	1984	1.59	
			बीड़	1985	1.29	
			बीड़	2019	6.67	
			बीड़	2020	0.34	
			बीड़	2021	1.16	

			शास.गैर वनभूमि	2022	0.19	
			योग	27	87.32	
2	चिपिया स	चिपिया	शास.गैर वनभूमि	1323	1.80	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से संरक्षित वनखण्ड चिपिया के मुनारा क्रमांक 26 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड चिपिया के मुनारा क्रमांक 28 से मुनारा क्रमांक 22 तक वनसीमा।
			शास.गैर वनभूमि	1324	0.20	पूर्व- संरक्षित वनखण्ड चिपिया के मुनारा क्रमांक 22 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			बर्डी	1325	3.58	पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 17 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			चरनोई	1516	0.47	
			कदीम	1517	0.55	
			योग	05	6.80	
			महायोग	49	141.77	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, के पत्र दिनांक 15.04.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.08, सनावद जिला खरगोन की स्वीकृत परियोजना सांवेर माइक्रो उद्घहन सिंचाई परियोजना में प्रभावित 133.448 हेक्टेयर वनभूमि (वनमण्डल बड़वाह एवं इनदौर) के एवज में प्राप्त कुल 144.64 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 141.77 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर मालवा के आदेश क्रमांक प्रकरण क्र. 0078/अ-20(3)/2022-23 दिनांक 17.04.2023, पृष्ठ.क्र./रीडर/2023/178 दिनांक 17.04.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी - तहसीलदार बड़ौद के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू 1 दिनांक 21.02.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(1) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(2) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2025

क्र. PCCF-7-0100-2024-FLR-PCCF .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0100-2024-FLR-PCCF, दिनांक 2 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 2nd April 2025

No./PCCF/7/0100/2024-FLR-PCCF : In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), The State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

Schedule

District – Agar-Malwa

Division-Shajapur

Tehsil – Barod

Forest Range – Agar

S.No.	Details of Land included					Forest Block Boundaries		
	Name of the Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)			
1	Chipiya A	Chipiya	Bardi	19	0.12	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 39 to 46, 46 to 1 and 1 to 10 of Proposed Protected Forest block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No.10 to 14 of Proposed Protected Forest block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No.14 to 26 of Proposed Protected Forest block and Pillar No.26 of Protected Forest block to pillar no 2 of Chipiya PF. Forest Boundary from Pillar No.2 to Pillar No.1 of Protected Forest block Chipiya and Artificial forest boundary from pillar No.1 of Protected Forest block Chipiya to pillar No. 27 of Proposed Protected Forest block. West- Artificial Forest boundary from pillar No.27 to 39 of Proposed protected forest block		
			Bardi	22	0.24			
			Bardi	23	0.27			
			Bardi	25	1.00			
			Bardi	26	0.10			
			Bardi	27	1.55			
			Bardi	85	2.75			
			Bardi	1344	16.21			
			Bardi	1345	0.03			
			Bardi	1346	0.03			
			Bardi	1347	0.25			
			Bardi	1348	0.07			
							1349	0.04
					Bardi		1350	1.81
					Ka. Ka.		1351	0.42
					Bardi		1353/2	21.10
		Bardi	1362	1.86				
		Total	17	47.85				

2	Chipiya B	Chipiya	Govt. Non forest Land	1368	0.70	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 8 of Proposed Protected Forest block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No.8 to 48 of Proposed Protected Forest block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No.48 to 64 of Proposed Protected Forest block. West- Artificial Forest boundary from pillar No.54 to 102 and 1 of Proposed protected forest block
			Bardi	1369	2.29	
			Bardi	1461	12.96	
			Bardi	1462	0.76	
			Bardi	1473	4.70	
			Govt. Non forest Land	1707	0.52	
			Bardi	1708	14.11	
			Imarti Lakdi Hetu	1719	6.68	
			Bardi	1720	0.66	
			Bardi	1721	0.84	
			Bardi	1722	0.71	
			Govt. Non forest Land	1723	0.09	
			Bardi	1724	5.31	
			Bardi	1732	0.07	
			Bardi	1733	0.24	
			Bardi	1737	3.91	
			Bardi	1914	3.15	
			Bardi	1932	0.16	
			Beed	1941	0.08	
			Beed	1982	1.46	
			Beed	1983	16.68	
			Beed			
			Beed	1984	1.59	
			Beed	2019	6.67	
			Beed	2020	0.34	
			Beed	2021	1.16	
			Govt. Non forest Land	2022	0.19	
			Total	27	87.32	

3	Chipiya C	Chipiya	Govt. Non forest Land	1323	1.80	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No.17 of Proposed Protected Forest block to pillar No.26 of Protected forest block Chipiya and Forest Boundary from Pillar No.26 to 22 of Protected Forest block chipiya. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No.22 of Protected forest block Chlipiya to Pillar No.1 and 2 of Proposed Protected Forest block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No.2 to 8 of Proposed Protected Forest block. West- Artificial Forest boundary from pillar No.8 to 17 of Proposed protected forest block
			Govt. Non forest Land	1324	0.20	
			Bardi	1325	3.58	
			Charnoi	1516	0.47	
			kadeem	1517	0.55	
			Total	05	6.60	
			Grand Total	49	141.77	

A. Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt. of India's letter dated 15-04-2024 and in lieu of 133.448 hectare (Barwaha and Indore Forest division) of affected forest land under the sanctioned project Sanwer Micro Lift Irrigation Scheme, of the Executive engineer, Narmada Development Division No.08 Sanawad District Khargone, the above mentioned non forest land of 141.77 out of 144.64 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No.0078/A-20(3)/2022-23 dated 17-04-2023, Endorsement No/Reader/2023/178 Dated 17-04-2023 of Collector Agar-Mahwa for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons. - Nil

- B. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Q 1 dated 21-02-2024 of Tehsildar Barod are as under.**

1. - Individual Rights :- Nil
2. - Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2025

क्रमांक/PCCF/7/0152/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला-मैहर

तहसील-मैहर

वनमंडल-सतना

वन परिक्षेत्र-मैहर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं	
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		
1-	शारदा-अ	अरकडी	पडत भूमि राजस्व	107/3 (S)	1.191	उत्तर- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 18 एवम 1 तक कृत्रिम वन सीमा।	
				110 (S)	0.721		पूर्व-प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा।
				111(S)	0.115		दक्षिण-प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 9 तक कृत्रिम वन सीमा।
				114 (S)	1.473		पश्चिम-प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 10 तक कृत्रिम वन सीमा।
				116/2(S)	1.600		
			योग	5.100			

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/8-B/121/2001/FCW/1660 दिनांक 22.07.2002 में अधिरोपित शर्त के अनुसार शारदा प्रबंध समिति मैहर की स्वीकृत परियोजना एरियल रोपवे में प्रभावित 1.400 हेक्टेयर वनभूमि एवं 3.500 हेक्टेयर अतिक्रमण के एवज में प्राप्त कुल 5.100 हेक्टेयर गैर वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक/ 18/A-19(III)2005-06 दिनांक 13.06.2006 एवं 18/A-19(III)2005-06 दिनांक 14.08.2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर सतना के प्रतिवेदन आदेश क्रमांक/18/A-19(III)2005-06 दिनांक 13.06.2006 एवं 18/A-19(III)2005-06 दिनांक 14.08.2006 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-

1. व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2025

क्र. PCCF-7-0152-2025-FLR-PCCF .-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0152-2025-FLR-PCCF, दिनांक 2 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 2nd April 2025

No./PCCF/7/0152/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(xvi of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communication in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE

District - Maihar

Tehsil- Maihar

Forest Division - Satna

Range- Maihar

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included			Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present khasra of head of land	Area No. (Hectare)	
1	Sharda-A	Arkandi	107/3 (S)	1.191	North- Artificial forest boundary from pillar No.10 to 18 and 1 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial forest boundary from pillar No.1 to 2 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial forest boundary from pillar No.2 to 9 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial forest boundary from pillar No.9 to 10 of Proposed Protected Forest Block.
			110 (S)	0.721	
			111(S)	0.115	
			114 (S)	1.473	
			116/2(S)	1.600	
Total			5.100		

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Govt. of India. Ministry of Environment and Forest and Climate Change order No 8B/121/2001/FCW/1660 dated 22.07.2002 and in lieu of 1.400 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sharda Prabandh Samiti Maihar of aerial ropeway and encroachment area 3.500 ha. the above mentioned Non Forest Land of 5.1 ha. transferred or mutated in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No 18/A-19(III)2005-06 dated 13-06-2006 and 18/A-19(III)2005-06 date. 14.08.2006 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 18/A-19(III)/2005-06 dt.13.06.2006 and 18/A-19(III)2005-06 dt. 14.08.2006 of Collector Satna are as under.

1. Individual Rights- None

2. Community Rights-None

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

क्रमांक/PCCF/7/0095/2024-FLR-PCCF-Part(1):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 ,सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी

तहसील - शिवपुरी

वनमण्डल - शिवपुरी

वन परिक्षेत्र का नाम- सतनवाड़ा

अ.क्र.	वनमण्डल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्द	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
१	बरखाडी	डोगरी	राजस्व भूमि	57	2.686	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुन्नारा क्रमांक 1 से मुन्नारा क्रमांक 6 तक की कृत्रिम वनसीमा: पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुन्नारा क्रमांक 6 से मुन्नारा क्रमांक 11 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुन्नारा क्रमांक 11 से मुन्नारा क्रमांक 18 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुन्नारा क्रमांक 18 से 19 व 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
				58	8.000	
				59	7.200	
				61	5.500	
				62	13.500	
				63	11.340	
				64	17.000	
				65	12.890	
				66	6.000	
				67	13.100	
				70	18.९70	
				73	१0.000	
				74	14.000	
				75	14.000	
76	14.000					
77	14.000					
				योग	212.186	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (अ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ.नम्बर 8-395/84-एफ.सी दिनांक 18.04.2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना महुअर मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित 340.846 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 212.186 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश क्रमांक 06/2012-13/अ 59 आदेश दिनांक 08.02.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक
2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

क्र. PCCF-7-0095-2024-FLR-PCCF-Part (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0095-2024-FLR-PCCF-Part (1), दिनांक 8 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 8th April 2025

No./PCCF/7/0095/2024-FLR-PCCF-Part(1) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : - Shivpuri
Forest Division : - Shivpuri

Tahsil : Shivpuri
Forest Range : Satanwara

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	BARKHADI	DONGRI	Revenue Land	57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 70 73 74 75 76 77	2.686 8.000 7.200 5.500 13.500 11.340 17.000 12.890 6.000 13.100 18.970 40.000 14.000 14.000 14.000 14.000	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 6 of Proposed Protected forest block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 6 to Pillar No. 11 of Proposed Protected forest block.
				Total	212.186	:

						South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 11 to Pillar No. 18 of Proposed Protected forest block.
						West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to 19 and 1 of Proposed Protected forest block.

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment ,Forest and Climate Change New Delhi of order No F.No. 8-395/84- FC dated 16-04-2004 and in lieu of 340.846 hectare of affected forest land under the sanctioned Mahuar Medium Irrigation Project of Executive Engineer W.R. Division Shivpuri the above mentioned Non Forest Land of 212.186 hectare transferred or mutated in favor of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No 06/2012-13/A / 59 dated 08-02-2013 of 212.186 hectare transferred or mutated for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Shivpuri (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 9 अप्रैल 2025

क्र. 635-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला	—	सीधी
(ख) तहसील	—	चुरहट
(ग) ग्राम	—	टीकट कला
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	—	टीकट कला
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	—	रकबा 0.3250 हे.

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजनों का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2113/1	0.5140	0.1000	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण हेतु
2	2114	0.1000	0.1000	
3	2115	0.1500	0.0050	
4	2116/1	0.2400	0.0500	
5	2110/3/1	0.1500	0.0700	
कुल योग रकबा		1.1540	0.3250	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी / चुरहट / रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 जून 2024

पत्र क्र. 530-प्रका.-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कोटवा	0.242	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड रीवा (म. प्र.).	म. प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई रीवा द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत टमस समूह जल प्रदाय योजना हेतु जल शुद्धिकरण संयंत्र के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन का कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 मार्च 2025

क्र. 146-प्रका.-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	रेरुआ	0.100	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर रीवा एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 24 मार्च 2025

क्र. 194-भू-अर्जन-2025.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रीवा जिले के सिगमा टोला हटा (हटहा) सिगमा सेमरिया मार्ग में कुरवई नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य के लिए धारणाधिकार की भूमि की आवश्यकता होने से उपरोक्त भू-स्वामियों की भूमि क्रय हेतु विचारार्थ लिया गया है :—

ग्राम-हटहा, तहसील-सेमरिया, जिला-रीवा, मध्यप्रदेश

क्रमांक	भूमि-स्वामी का नाम	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामभूषण, रामभुवन पिता रामप्रताप	106/2	0.182
2	रामबाई पति लछिमन, पंचवती पुत्री लछिमन यज्ञनारायण, पूरनलाल, रामनारायण, उदयभान, कमलभान, सुजीत पिता लछिमन, सीताप्रसाद पति लछिमन.	105/1/1/2	0.284
3	देवमनिया पति राजरूप, सत्यनारायण अग्निहोत्री, जयनारायण अग्निहोत्री, त्रियुगीनारायण अग्निहोत्री, सीतासरण अग्निहोत्री, धीरज अग्निहोत्री पिता राजरूप	105/2	0.081
4	रामभूषण पिता वगै.	105/3	0.191

2. निम्न भूमि क्रय करने का प्रस्ताव प्रारूप-क में भू-धारक को उपलब्ध पश्चात् भू-धारक की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी किया जा रहा है कि ऐसे भूमि धारकों (पूरा नाम व पता सहित) से परियोजना के लिये राज्य सरकार के संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि की स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत आगामी दिनांक 9 अप्रैल 2025 के पूर्व अथवा उक्त दिनांक को अपनी आपत्ति ऑनलाइन अथवा लिखित रूप से आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

नियत अवधि में प्राप्त आपत्तियों के आधार पर कलेक्टर यदि भूमि का खंडित धारणाधिकार (Defectiuetitle) पाता है तो वह ऐसी भूमि को क्रय करने के लिए अग्रसर नहीं होगा. जारी सार्वजनिक सूचना की अवधि के पश्चात् तक यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होगा तो कलेक्टर भू-धारक से राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में भूमि क्रय हेतु अग्रसर होगा.

आज दिनांक 24 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

प्रतिभा पाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मैहर, दिनांक 27 मार्च 2025

क्र. 41-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बाणसागर जलाशय से निर्माणाधीन बहुती नहर से प्रभावित ग्राम नौगांव नंबर 3 की अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	रामनगर	नौगांव नंबर 3	0.663	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र. 3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	बाणसागर जलाशय से निर्माणाधीन बहुती नहर से प्रभावित होने के कारण.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, जिला मैहर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 27 मार्च 2025

नस्ती क्र. 07-एल.ए.-2025-5293-भू-अर्जन-प्र. क्र. 0020-अ-82-2024-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	सेमलिया	6.17	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.	भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 08-एल.ए.-2025-5294-भू-अर्जन-प्र. क्र. 0021-अ-82-2024-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	राजगढ़	1.71	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.	भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 मार्च 2025

प्र. क्र. 30-अ-82-वर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	पवई	निजी भूमि आ. क्र. 2820/2/2 रकबा 0.0890 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.0000 हे. कुल रकबा <u>0.0890 हे.</u>	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, संभाग सागर.	एडीबी फेज-6, पैकेज 10 के अंतर्गत सिमरिया-मोहन्द्रा-पवई मार्ग के उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित क्षेत्र में आने वाली भूमि के भू-अर्जन हेतु ग्राम पवई, तहसील व अनुभाग पवई, जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 25 मार्च 2025

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र.-621-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	तिवनी	0.813	उपमुख्य अभियंता (निर्माण-2) पमरे, जिला सतना (म. प्र.).	सतना-रीवा दोहरीकरण रेल्वे लाइन के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2025

क्र. 307-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची का कॉलम (7) में उनके नाम के समक्ष दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश पिपलानी बी सेक्टर से खजूरी कला न्यू बायपास तक 4 लेन रोड निर्माण कार्य परियोजना लम्बाई 4.20 किलोमीटर अंतर्गत भोपाल शहर में रोड निर्माण कार्य की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है. इस कारण धारा 11(1) के तहत प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम		खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
भोपाल	हुजूर	खजूरी कला	437/2/1/1/1	0.060	कार्यपालन यंत्री,	पिपलानी बी सेक्टर से	
भोपाल	हुजूर	खजूरी कला	437/2/2	0.118	लोक निर्माण	खजूरी कला न्यू बायपास	
भोपाल	हुजूर	खजूरी कला	437/2/3	0.075	विभाग संधारण	तक 4 लेन रोड	
भोपाल	हुजूर	खजूरी कला	437/2/4	0.075	संभाग, क्रमांक 2,	निर्माण कार्य परियोजना	
कुल रकबा				0.328	भोपाल.	लम्बाई 4.20 किलोमीटर.	

अनुसूची-2

निरंक

अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से संबंधित योजना आरेख, सक्षम प्राधिकारी, जिला अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन तथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 साठ दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे।

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 25 मार्च 2025

क्र. 203-भू-अर्जन-203-2024-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं पटवारी हल्का नंबर	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	पिपरिया वनकक्ष क्र. 305 बीट पिपरिया	9.731	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.	गौर जलाशय बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) निवास या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोमेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 5 मार्च 2025

प्रकरण क्रमांक 17/अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
(ख) तहसील - पन्ना
(ग) ग्राम - बिल्हा
(घ) क्षेत्रफल - 2.260 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	699	0.020	निजी भूमि
2	697	0.070	निजी भूमि
3	694	0.010	निजी भूमि
4	684	0.010	निजी भूमि
5	685	0.120	निजी भूमि
6	606	0.110	निजी भूमि
7	689	0.140	निजी भूमि
8	608	0.080	निजी भूमि

9	700	0.050	निजी भूमि
10	649	0.040	निजी भूमि
11	650	0.040	निजी भूमि
12	651	0.110	निजी भूमि
13	627	0.050	निजी भूमि
14	626	0.060	निजी भूमि
15	614	0.080	निजी भूमि
16	615	0.050	निजी भूमि
17	645	0.100	निजी भूमि
18	639	0.090	निजी भूमि
19	638	0.030	निजी भूमि
20	637	0.080	निजी भूमि
21	287	0.080	निजी भूमि
22	288	0.140	निजी भूमि
23	282	0.060	निजी भूमि
24	281/2	0.020	निजी भूमि
25	281/1	0.030	निजी भूमि
26	280	0.050	निजी भूमि
27	274	0.080	निजी भूमि
28	273/1	0.050	निजी भूमि
29	273/2	0.050	निजी भूमि
30	272	0.060	निजी भूमि
31	251	0.040	निजी भूमि
32	253	0.090	निजी भूमि
33	254	0.080	निजी भूमि
34	221	0.090	निजी भूमि
	योग	2.260 हे०	

- [2] बडखेरा तालाब योजना अंतर्गत दायी मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण कार्य में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि के भू-अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम बिल्हा तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना जिला पन्ना।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 19/अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
 (ख) तहसील - पन्ना
 (ग) ग्राम - हरदुआ
 (घ) क्षेत्रफल - 2.440 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	199	0.100	निजी भूमि
2	137/1	0.130	निजी भूमि
3	196	0.030	निजी भूमि
4	197	0.220	निजी भूमि
5	139	0.120	निजी भूमि
6	195	0.070	निजी भूमि
7	155	0.220	निजी भूमि
8	154	0.160	निजी भूमि

9	148	0.150	निजी भूमि
10	36	0.050	निजी भूमि
11	37	0.060	निजी भूमि
12	38/1	0.090	निजी भूमि
13	38/2	0.090	निजी भूमि
14	38/3	0.090	निजी भूमि
15	13/2	0.010	निजी भूमि
16	12	0.030	निजी भूमि
17	139	0.620	निजी भूमि
18	136	0.200	निजी भूमि
	योग	2.440 हे०	

- {2} बडखेरा तालाब योजना अंतर्गत दायी एवं बायी मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण कार्य में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि के भू-अर्जन धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम हरदुआ तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना जिला पन्ना।
- {3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 18/अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
 (ख) तहसील - पन्ना
 (ग) ग्राम - लक्ष्मीपुर
 (घ) क्षेत्रफल - 4.167 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	254/1	0.110	निजी भूमि
2	254/2	0.030	निजी भूमि
3	290	0.050	निजी भूमि
4	286	0.080	निजी भूमि
5	306/1	0.170	निजी भूमि
6	306/2	0.080	निजी भूमि
7	316	0.020	निजी भूमि
8	328/2	0.060	निजी भूमि

9	236	0.080	निजी भूमि
10	237	0.070	निजी भूमि
11	241	0.070	निजी भूमि
12	242	0.070	निजी भूमि
13	274/1	0.020	निजी भूमि
14	282	0.030	निजी भूमि
15	283	0.080	निजी भूमि
16	287	0.060	निजी भूमि
17	196	0.060	निजी भूमि
18	304	0.060	निजी भूमि
19	305	0.060	निजी भूमि
20	326/1	0.070	निजी भूमि
21	315	0.090	निजी भूमि
22	325/2	0.100	निजी भूमि
23	329/1	0.060	निजी भूमि
24	329/2	0.060	निजी भूमि
25	329/3	0.150	निजी भूमि
26	330	0.140	निजी भूमि
27	371/2	0.080	निजी भूमि
28	372/2	0.080	निजी भूमि
29	373/2	0.010	निजी भूमि
30	384	0.040	निजी भूमि

31	374	0.130	निजी भूमि
32	383	0.040	निजी भूमि
33	385	0.080	निजी भूमि
34	197	0.130	निजी भूमि
35	198	0.110	निजी भूमि
36	199	0.090	निजी भूमि
37	200	0.010	निजी भूमि
38	131	0.170	निजी भूमि
39	134	0.010	निजी भूमि
40	136	0.050	निजी भूमि
41	137	0.050	निजी भूमि
42	111	0.060	निजी भूमि
43	110	0.060	निजी भूमि
44	90	0.080	निजी भूमि
45	91	0.080	निजी भूमि
46	86	0.050	निजी भूमि
47	73	0.050	निजी भूमि
48	62/1	0.050	निजी भूमि
49	62/2	0.060	निजी भूमि
50	61	0.008	निजी भूमि
51	58/1	0.040	निजी भूमि
52	58/2	0.040	निजी भूमि
53	53	0.080	निजी भूमि
54	36	0.049	निजी भूमि
55	37	0.090	निजी भूमि
56	38	0.060	निजी भूमि
57	26/1	0.120	निजी भूमि
58	24/2	0.020	निजी भूमि
59	24/1	0.120	निजी भूमि
60	25	0.010	निजी भूमि
61	26/2	0.030	निजी भूमि
	योग	4.167 हे०	

[2] बडखेरा तालाब योजना अंतर्गत बांयी मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण कार्य में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि के भू-अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम लक्ष्मीपुर तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना जिला पन्ना।

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी
भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र.-1256-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0092-B-121-2024-25

खरगोन, दिनांक 6 मार्च 2025

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3161/भू-अर्जन/री-1/2024, भीकनगांव, दिनांक 30.07.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- भातलपुरा, प.ह.नं. 38/100, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- भातलपुरा, प.ह.नं. 38/100	40	0.039
			41	0.091
			42/4	0.048
			43/1	0.051
			43/2	0.039

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— भातलपुरा, प.ह.नं. 38 / 100	43/3	0.072
			52/3	0.039
			53/3	0.024
			55/3	0.034
			54/2	0.004
			56/8	0.048
			75/1/3	0.046
			78/1/1	0.012
			85/1	0.240
			87/2	0.024
			87/3	0.072
			93/1/8	0.030
				0.014
			93/1/3	0.066
			93/1/7	0.012
			159/2/1	0.120
			259/3/2	0.027
			426	0.012
			95/1	0.066
			95/2	0.050
			97/3	0.006
			97/2	0.028
			97/1	0.018
			151	0.020
			122	0.078
			121/3	0.044
121/5	0.078			
कुल योग			31	1.552

क्र.-1570-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0162-ब-121-2024-25

भीकनगांव, दिनांक 26 मार्च 2025

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 622/रीडर/भू-अर्जन/2025, भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर एवं ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-01, 02, 03, 04, 05, 06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- अन्दड़, प.ह.नं.- 21/80, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्त्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अन्दड़, प.ह.नं.- 21/80	43/2/1	0.005
				0.006
				0.013
				0.010
				0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अन्दड़, प.ह.नं.- 21/80	43/1	0.004
				0.011
			45/1	0.010
			42/2	0.001
				0.035
			41/3	0.002
			43/3	0.002
			31/1	0.003
			30/1	0.001
			31/3	0.003
			29/61/1	0.010
			27	0.006
			56	0.014
			26/2	0.008
			43/2/2	0.002
			41/2	0.004
				0.003
			42/1	0.005
				0.003
			40	0.004
			41/1	0.002
			39/525	0.007
			6/522	0.009
			7/523	0.011
			12	0.003
			2/2	0.012
			37	0.006
			14	0.009
			15/1	0.004
			15/2	0.005
			16	0.009
			16/524	0.007
			17/1/1	0.002
22/1	0.002			
18/1	0.006			
32	0.007			
33	0.013			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अन्दड़, प.ह.नं.- 21/80	18/2	0.007
			17/1/3	0.006
			17/1/6	0.005
			17/1/4	0.008
			17/1/7	0.010
			18/7	0.014
			17/3	0.008
			20/7	0.008
			514/1	0.006
			511/546	0.001
			470/2	0.026
			470/1	0.005
			472/1	0.018
			472/2/1	0.005
			473/544/1/1	0.004
			473/544/1/2	0.004
			344/4	0.009
			343/5	0.016
			343/4	0.026
			293/2	0.002
			293/3	0.024
			293/1	0.005
			294/2	0.013
			294/1/2	0.013
			296/1/2/1	0.016
			296/1/1/1	0.026
				0.006
			154/1	0.008
			296/1/1/2	0.005
				0.004
			291/3	0.018
			154/2	0.006
161/1	0.006			
297/2	0.010			
297/1/3	0.006			
297/1/2	0.006			
344/1	0.003			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अन्दड़, प.ह.नं.- 21/80	190	0.050
				0.001
			189	0.011
			153/1	0.022
			155/1	0.022
			296/2	0.005
			160/2	0.032
			161/2	0.006
			160/1	0.014
			179/2	0.002
			164/3	0.004
			164/2	0.014
			164/1	0.007
			64/2	0.016
			64/1	0.002
			63/2	0.002
			167/2	0.001
			63/3	0.009
			62/2/2	0.015
			28/2/1	0.026
			29/61/4	0.018
			59	0.010
			58	0.003
			29/61/3	0.020
			45/2	0.010
				0.013
			44	0.004
			54/2	0.005
			62/2/1	0.002
			166	0.003
			167/3	0.005
			178	0.010
181/1	0.002			
182/3	0.001			
181/3	0.009			
184/4/1	0.003			
184/4/2	0.004			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अन्दड़, प.ह.नं.- 21/80	184/3	0.003
			185/2	0.001
			344/2	0.009
			188/1/2	0.006
			188/1/1	0.006
			188/2	0.001
			306/2	0.007
			304	0.006
			302	0.003
			297/3	0.009
			292/1	0.008
			343/1	0.003
			464/1/1	0.010
			464/1/2	0.002
			463/1	0.002
			463/2	0.002
			460/3	0.008
			460/2	0.003
			459/2	0.005
			458/1	0.004
			458/2	0.003
			457	0.003
			456/3	0.005
433/2	0.001			
433/542	0.006			
436	0.016			
39	0.021			
कुल योग			131	1.181

क्र.-1573-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0163-ब-121-2024-25

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 647/रीडर/भू-अर्जन/2025, भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक- 03 एवं 06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- जामन्या, प.ह.नं.- 21/80, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- जामन्या, प.ह.नं.- 21/80,	13/1	0.010
			14/4	0.006
			14/3	0.006
			44/1	0.010
			15/4	0.012

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— जामन्या, प.ह.नं.— 21/80,	15/5	0.010
			44/5	0.026
			44/4	0.002
			44/2	0.020
			44/6	0.011
			44/3	0.012
			43/4/1	0.002
			42/1/1	0.016
			42/2	0.009
			39/5	0.013
			39/7	0.007
			36/1	0.021
			36/2/2	0.008
			35/1	0.007
			36/2/1	0.006
			35/2	0.006
			35/4	0.011
			35/6	0.010
			35/5	0.004
			33/1	0.037
			138	0.002
			137/12	0.004
			137/16	0.004
			137/15	0.023
			137/18/1	0.006
			137/18/2	0.003
			137/20	0.002
			137/13	0.008
			142/12	0.020
			142/1	0.006
			142/2/3	0.004
			142/2/1	0.002
			142/2/2	0.005
			142/2/4	0.006
			142/3	0.009
			144/6	0.007
			142/8	0.001
			144/5	0.004
			144/3	0.005
			144/4	0.011
12/1/2/3	0.006			
12/1/2/2	0.006			
12/2	0.006			
12/1/2/5	0.006			
12/1/2/4	0.008			
कुल योग			50	0.446

क्र.-1576-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0158-ब-121-2024-25

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 352/रीडर/भू-अर्जन/2025, भीकनगांव, दिनांक 24.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-आर.एम.-02 एवं जी.एम.-01 व जी.एम.-01/आर.एम.-13 में जल परिवहन हेतु ग्राम-साला, प.ह.नं.- 06/72, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- साला, प.ह.नं.- 06/72,	188/5	0.018
			188/4	0.017
			188/3	0.018
			187/1	0.024
			187/2	0.029

निरंतर- 2

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- साला, प.ह.नं.- 06/72,	77/4	0.024
			77/5	0.015
			77/6	0.015
			69	0.039
			64/1	0.019
			64/2	0.022
			50/2	0.022
			50/3	0.016
			50/4	0.017
			52/5	0.011
			52/4	0.011
			52/7	0.013
			52/6	0.012
			52/1	0.011
			206/3	0.062
			136	0.003
				0.003
			135	0.004
			149/8	0.005
			149/7	0.005
149/6	0.003			
153/6	0.001			
139/1	0.006			
कुल योग			27	0.445

क्र.-1579-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0166-ब-121-2024-25

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 632/रीडर/भू-अर्जन/2025, भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने चौण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक- 03 एवं 04 में जल परिवहन हेतु ग्राम- चौण्डी, प.ह.नं.- 03/69, रा. नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- चौण्डी, प.ह.नं.- 03/69,	39/1/1	0.011
			27/18	0.024
			38/6/2	0.001
			38/5/2	0.010
			38/6/1	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- चौण्डी, प.ह.नं.- 03/69,	38/2	0.004
			38/3/2	0.001
			38/3/1	0.004
			38/4	0.007
			37/2	0.006
				0.002
			43	0.012
			37/1	0.009
			54/2	0.011
			54/1	0.010
			53/2	0.004
			53/1/2	0.010
			6/1/1	0.018
			6/2	0.003
			6/9	0.004
			6/3	0.005
			6/4	0.009
			6/5	0.006
			6/8	0.007
			8/2	0.013
			8/1	0.012
			14/3	0.003
			14/2	0.011
			14/1	0.012
			16	0.001
			180/7	0.007
			180/8	0.006
			180/6	0.002
कुल योग			32	0.249

आकांक्षा (करोठिया) अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-622-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 25 मार्च 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर /ग्राम - झाली

(घ) क्षेत्रफल- 10.1680 हे०

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
1	2	3	4
1	शिववंत सिंह पिता मइयाबहादुर सिंह पता सा०देह झाली	1118/1	0.0660
2	हरिओम सिंह पिता मइयाबहादुर सिंहस पता सा०देह झाली	1118/2	
3	हरिओम सिंह पिता मइयाबहादुर सिंहस पता सा०देह झाली	1119	0.0800
4	सूर्यमान सिंह पिता अच्छेलाल सिंह पता झाली कोठी	1120	0.0760
5	हरिओम सिंह पिता मइयाबहादुर सिंहस पता सा०देह झाली	1121	0.0050
6	हरिओम सिंह पिता मइयाबहादुर सिंहस पता सा०देह झाली	1127	0.4540
7	हरिओम सिंह पिता मइयाबहादुर सिंहस पता सा०देह झाली	1130	0.0460
8	रामकिशोर पिता अच्छेलाल सिंह पता झाली कोठी	1134/1	0.0550
9	सूर्यमान सिंह पिता अच्छेलाल सिंह पता झाली कोठी	1134/2/1	
10	चम्पादेवी पत्नी इन्द्रपाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1134/2/2	
11	बिट्टीबाईबेवा पत्नी शिवलाल सिंह, दिलीपसिंह, प्रदीप सिंह पुत्र शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1134/2/3	
12	सूर्यमान सिंह पिता अच्छेलाल सिंह पता झाली कोठी	1126/2	0.6550
13	ददनप्रसाद पिता महादेव नाई पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1132	0.2120
14	मालती पत्नी यशवन्त सिंह सचिन शिवम पिता यशवन्त सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1133/1/1	0.0500
15	अनिल कुमार, सुनील कुमार पिता बृजेन्द्रनाथ ब्रा० पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1136/1/2	0.2660
16	रामजी पिता कल्लूप्रसाद बागरी जाति बागरी पता सा०देह झाली	1136/1/3	0.2660
17	अजीत सिंह बागरी पिता रामजी बागरी पता सा०देह झाली	1136/2/1	0.2660
18	अनूप सिंह बागरी पिता रामजी बागरी पता सा०देह झाली	1136/2/2	0.0660
19	दुर्घटिया पत्नी ददुआप्रसाद शर्मा, रामबली, रावेन्द्रकुमार, कुसुम पिता भगवतीप्रसाद शर्मा, क्षमादेवी पत्नी भगवतीप्रसाद शर्मा, भगवानदीन पिता ददुआप्रसाद शर्मा, बाबूलाल, सुरेशप्रसाद पिता ददुआप्रसाद शर्मा, संखू, मुन्नी पुत्री ददुआप्रसाद शर्मा जाति ब्रा०	1147	0.1730
20	पद्मवा पिता हनुवा पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1148/1	0.2900
21	भगवनिया बेवा पति रामदास, जमुना प्रसाद, सुन्दरिया पिता रामदास पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1148/2	

22	बृजेन्द्रनाथ पुत्र हरेश्वरप्रसाद पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1419/1/1/1	0.5280
23	कैलाशनाथ पुत्र हरेश्वरप्रसादप्रा पता झाली कोठी	1419/1/1/2	
24	बृजेन्द्रनाथ पुत्र हरेश्वरप्रसाद पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1419/1/2	
25	चंद्रशेखर सरोज चन्द्रभूषण लीला माया मुन्नी रमेश साधना अवधेश पिता रामगोपाल पता सा0देह भूमिस्वामी	1419/2	
26	सहरा बानो बेवा मो. सुलेमान शायदा बानों जाहदा बानों मो. नसीम मो. शमीम मो. शरीफ पिता मो. सुलेमान मु. सहरा बानो बेवा सुलेमान पता सा0देह भूमिस्वामी	1418/1	0.0500
27	अकबर अली पिता मकदम वक्स पता झाली कोठी	1418/3	0.1200
28	विस्मिल्लाबेवा मुनीम बक्स सहीदाबानो रसीदाबानो नुखीरावानो पुत्री मुनीमबक्स पता सा0देह भूमिस्वामी	1418/5	0.0300
29	बेवा जमीला खातून पत्नी मो. नयीम मो. दिलबाद रुकसार बानो पिता मो. नयीम कुर्शिदा बेगम पुत्री सहाबुद्दीन पता सा0देह	1418/6	0.1200
30	मु. बेवा अमीनाबाई पति मोह. सतार मो. अब्बास मो. अनवर पिता मोह. सतार पता सा0देह भूमिस्वामी	1418/7	0.1300
31	मु. मेहरू निशा बेवा सब्बीर खां मो. सगीर मो. फिरोज मो. अफरोज मो. वारिश अली पिता सब्बीर खां पता सा0देह	1418/8	0.0400
32	बरकतखां पुत्र जंगीखां पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1418/9	0.0800
33	महबूब पिता मकदमवक्स पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1418/2	0.1100
34	मुकेश उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र शैलेन्द्रबहादुर सिंह पता झाली	1175/1/1	0.7000
35	मुकेश उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र शैलेन्द्रबहादुर सिंह पता झाली	1175/1/2	
36	केशव प्रताप सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1175/2	
37	राजाराम पुत्र राममनोहर प्रजापति पता झाली कोठी	1175/3	
38	खेतपाल सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1175/4	
39	रतिप्रजापति पत्नी राजाराम प्रजापति पता झाली कोठी	1175/5/2	
40	रूपेश प्रजापति, राममनोहर नाबाबलीसर पुत्र राजाराम प्रजापति पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1175/5/4	
41	मुकेश उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र शैलेन्द्रबहादुर सिंह पता झाली	1176/1	
42	केशव प्रताप सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1176/2	
43	राजाराम पुत्र राममनोहर प्रजापति पता झाली कोठी	1176/3	
44	खेतपाल सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1176/4	
45	देववती सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह पता झाली कोठी	1176/5	
46	भूपेन्द्र सिंह पुत्र शैलेन्द्रबहादुर सिंह पता झाली कोठी	1177/1	
47	केशव प्रताप सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1177/2	
48	राजाराम पुत्र राममनोहर प्रजापति पता झाली कोठी	1177/3	
49	खेतपाल सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1177/4	
50	रतिप्रजापति पत्नी राजाराम प्रजापति पता झाली कोठी	1177/5/1	
51	रूपेश प्रजापति, राममनोहर नाबाबलीसर पुत्र राजाराम प्रजापति पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1177/5/3	
52	मुकेश उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र शैलेन्द्रबहादुर सिंह पता झाली कोठी	1384/1/1/1/1	
53	भूपेन्द्र सिंह पुत्र शैलेन्द्रबहादुर सिंह पता झाली कोठी	1384/1/1/1/2	0.1100
54	देवेन्द्र सिंह पुत्र भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1384/1/1/3	0.0280
55	खेतपाल सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1384/1/1/4	0.3200
56	राजेश सिंह पिता छोटेलाल सिंह पता झाली कोठी	1384/1/1/5/1	0.1980
57	जीतेन्द्र सिंह पिता छोटेलाल सिंह पता झाली कोठी	1384/1/1/5/4	0.0140
58	देवेन्द्र सिंह पुत्र भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1384/1/23/3	0.0300
59	श्रीमती प्रेमवती बेवा भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1384/2	0.1900

60	देवेन्द्र सिंह पुत्र भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1230/3	0.0100
61	खेतपाल सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1230/4	0.0100
62	केशव प्रताप सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1229/2	0.0600
63	देवेन्द्र सिंह पुत्र भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1229/3	0.0200
64	खेतपाल सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी	1229/4	0.0600
65	चन्द्रकली बेवा गुलाब सिंह, सूर्यभान सिंह, इन्द्रबहादुर सिंह पिता गुलाब सिंह, भाईलाल, सुन्दरलाल, छोटेलाल पिता बैजनाथ पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1249/1	0.0460
66	चन्द्रकली बेवा गुलाब सिंह, सूर्यभान सिंह, इन्द्रबहादुर सिंह पिता गुलाब सिंह, भाईलाल, सुन्दरलाल, छोटेलाल पिता बैजनाथ पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1249/2	
67	चन्द्रकली बेवा गुलाब सिंह, सूर्यभान सिंह, इन्द्रबहादुर सिंह पिता गुलाब सिंह, भाईलाल, सुन्दरलाल, छोटेलाल पिता बैजनाथ पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1249/3	
68	फणीन्द्रभूषण पुत्र जगदीश प्रसाद ब्रा0 पता झाली कोठी	1242	0.0310
69	चन्द्रकली पत्नी स्व गुलाब सिंह पता झाली कोठी	1240/1	0.2300
70	चन्द्रकली पत्नी स्व गुलाब सिंह पता झाली कोठी	1240/2	
71	चन्द्रकली पत्नी स्व गुलाब सिंह पता झाली कोठी	1240/3	
72	श्रीकान्त पिता जगदीश प्रसाद ब्रा0 पता झाली कोठी	1239	0.0450
73	रामभुवन पति बाबूलाल बागरी पता झाली कोठी	1269/1	0.1800
74	सुरेश प्रसाद पिता बाबूलाल बागरी पता झाली कोठी	1269/2	
75	राजबहादुर पिता बाबूलाल बागरी पता झाली कोठी	1269/3	
76	धर्मवती पत्नी बाबूलाल उर्फ नत्थू प्रसाद पता झाली कोठी	1270	0.0900
77	धर्मवती पत्नी बाबूलाल उर्फ नत्थू प्रसाद पता झाली कोठी	1274	0.0900
78	रानी देवी बेवा धीरेन्द्र सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1267/2	0.1860
79	धर्मवती पत्नी बाबूलाल उर्फ नत्थू प्रसाद पता झाली कोठी	1293	0.0210
80	जयवेन्द्र पिता बाबूलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1272/1	0.0260
81	बाल्मीक बागरी संतोष कुमार बागरी पिता राधेश्याम बागरी	1272/2	0.0150
82	राजाबाई पति रामराज पिता भाईलाल बागरी पता झाली कोठी	1289	0.0300
83	रामभुवन पति बाबूलाल बागरी पता झाली कोठी	1288	0.0300
84	सुभम पिता दादूमन बागरी जाति बागरी पता झाली कोठी	1279/1	0.0550
85	शिवम पिता दादूमन बागरी जाति बागरी पता झाली कोठी	1279/2	0.0550
86	सपना सिंह पत्नी राजबहादुर सिंह, बबली सिंह पत्नी जयेन्द्र सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1287	0.0300
87	सपना सिंह पत्नी राजबहादुर सिंह, बबली सिंह पत्नी जयेन्द्र सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1294	0.0080
88	प्रदीप सिंह पिता शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना	1280	0.1300
89	बिट्टीबाई पत्नी शिवलाल सिंह पता झाली कोठी	1285	0.1290
90	बिट्टीबाईबेवा पत्नी शिवलाल सिंह, दिलीपसिंह, प्रदीपसिंह पुत्र शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1300	0.0300
91	बिट्टीबाईबेवा पत्नी शिवलाल सिंह, दिलीपसिंह, प्रदीपसिंह पुत्र शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1299/1	0.0740
92	रामजस पुत्र रामाधार लोहार, पुत्री पुत्री रामाधार लोहार पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1299/2/1	
93	दुर्घटिया पत्नी सौखीलाल, राजेश, जयकिशोर, उमाशंकर, रमाशंकर पुत्र सौखीलाल, आशा पत्नी सौखीलाल पता झाली	1299/2/2	
94	बाल्मीक बागरी संतोष कुमार बागरी पिता राधेश्याम बागरी पता सा0देह सतना भूमिस्वामी	1271	0.0180

95	राजाबाई पति रामराज पिता भाईलाल बागरी पता झाली कोठी	1290	0.0370
96	बाल्मीक बागरी संतोष कुमार बागरी पिता राधेश्याम बागरी पता सा0देह सतना भूमिस्वामी	1292	0.0210
97	धर्मवती पत्नी बाबूलाल उर्फ नत्थू प्रसाद पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1291	0.0210
98	बिदटीबाई बेवा पत्नी शिवलाल सिंह, दिलीप सिंह, प्रदीप सिंह पुत्र शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1300	0.0400
99	श्यामलाल पिता रामकुमार लोहार पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1309	0.0370
100	संखी मुन्नी पिता शिवबालक लोहार, रामजियावन, गोकुलप्रसादख रामनारायण पिता शिवबालक लोहार, अवधेश शकुन्तला सुनीता अर्चना पिता रामनाथ उर्फ रामानन्द विजरसिया पत्नी रामनाथ उर्फ रामानन्द विश्वकर्मा पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1310/1	0.0510
101	ददुल्ला पितासदवा लोहार पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1310/2	
102	चुनकावन, प्रभाशंकर, चन्द्रमाशंकर, रामशरण पुत्र गोरेलाल लोहार, गणेशिया पत्नी गोरेलाल लोहार पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1310/3	
103	बिदटीबाईबेवा पत्नी शिवलाल सिंह, दिलीपसिंह, प्रदीपसिंह पुत्र शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1301	0.2270
104	देवराज, भगवानदीन, सूरजप्रसाद पुत्र भगवानदीन पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1302	0.1680
105	बिदटीबाई पत्नी शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1314	0.1100
106	मुन्ना पिता पिलोरा पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1313	0.0150
107	सुधीर कुमार पिता रतीलाल कायस्थ पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1312	0.0060
108	बिदटीबाई पत्नी शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1315	0.1880
109	असुंदराम पिता राममिलन पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1316/1	0.0900
110	रामऔतार पिता रामलखन बागरी जाति बागरी पता सा0देह सतना भूमिस्वामी	1316/2	
111	रमाकान्त पिता रामनिरंजन बागरी जाति बागरी पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1317/1	
112	पुष्पेन्द्र सिंह बागरी पिता ददन प्रसाद बागरी जाति बागरी पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1317/2	
113	राजेन्द्र सिंह, नारेन्द्र सिंह, धनजय सिंह, दिनेश सिंह पिता छोटेलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	428	0.1300
114	सुधीर कुमार पिता रतीलाल कायस्थ पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	429	0.0730
115	अकबर अली पिता मकदम वक्स पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	430/1	0.0120
116	विस्मिल्लाबेवा मुनीम बक्स सहीदाबानो रसीदाबानो नुखीरावानो पुत्री मुनीमबक्स पता सा0देह भूमिस्वामी	430/2	
117	शिवबालक पुत्र जगबन्धू पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	432	0.0050
118	सुधीर कुमार पिता रतीलाल कायस्थ पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	433	0.2900
119	मुसखिया बेवा पत्नी अर्जुन, कल्लू, देशराज, रामप्रकाश पिता अर्जुन पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	423/1	0.1380
120	जगतपाल पुत्र गनेश प्रसाद सेन पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	422	0.1050
121	जगतपाल पुत्र गनेश प्रसाद सेन पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	421	0.0780
122	जगतपाल पुत्र गनेश प्रसाद सेन पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	420	0.0900
123	सुरेश प्रसाद पिता रामा पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	419	0.0180
124	शिवबहादुर पिता मोहनलाल बागरी पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1426/1/1	0.0600
125	राजमन पिता लक्ष्मी बागरी पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी	1426/2/1	0.6000
	योग		10.1680

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-623-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर /ग्राम - शिवसागर

(घ) क्षेत्रफल- 9.8280 हे०

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
1	2	3	4
1	कमलभान,रामलला,मारतेन्द्र पिता विष्णुप्रताप सिंह पता सोनौर,सतना भूमिस्वामी	210/1	0.3800
2	गणेश सिंह पिता शम्भू सिंह पता सोनौर,भूमिस्वामी	210/2	0.0400
3	उदयरज सिंह सोनौर	210/3	0.0300
4	शिवेश प्रताप सिंह पिता सर्वजीत सिंह पता सोनौर,सतना भूमिस्वामी	211/1	0.3200
5	श्रीमती सरोजनी देवी पति शुभकरण लवकेश राकेश राजेश पिता शुभकरण सिंह पता सोनौर,कोठी भूमिस्वामी	211/4	0.2600
6	दीपेन्द्र सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी	211/5/2	0.4170
7	हरेन्द्र सिंह पिता विक्रमजीत सिंह पता सोनौर,कोठी भूमिस्वामी	211/6	0.0800
8	शिवेन्द्र सिंह वल्द जगजीत सिंह पता सोनौर,कोठी भूमिस्वामी	211/9	0.0510
9	शिवेन्द्र सिंह वल्द जगजीत सिंह पता सोनौर,कोठी भूमिस्वामी	212/9	0.0310
10	सतेन्द्र सिंह पिता विक्रमजीत सिंह पता सोनौर,कोठी भूमिस्वामी	201/1/1	0.2660
11	धीरेन्द्र सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह पता सोनौर,कोठी भूमिस्वामी	214/3/1	0.6890
12	सतेन्द्र सिंह पिता विक्रमजीत सिंह पता सोनौर,कोठी भूमिस्वामी	214/4/2	0.3920
13	घनश्याम सिंह पिता जगजीत सिंह बघेल पता सा० देह भूमिस्वामी	214/7/2	0.0800
14	घनश्याम सिंह पिता जगजीत सिंह बघेल पता सा० देह भूमिस्वामी	215/1/1	0.4810
15	देवेश शर्मा पिता नरेन्द्र शर्मा पता बिरला रोड सतना भूमिस्वामी	221/1/1/1/23	1.9600
16	श्रीमती विद्यादेवी पत्नी गंगा प्रसाद महापात्र पता सा० देह भूमिस्वामी	226/1/1/2	1.0580
17	मु.बुट्टीबाई बेवा रामऔतार सुरेन्द्र महेन्द्र राजेन्द्र रामजी गोपालजी लालजी संजय पिता रामऔतार महापात्र पता कोठी भूमिस्वामी	226/1/2	0.3500
18	श्री मनी शर्मा पिता तेज प्रताप शर्मा पता कोठी भूमिस्वामी	226/2/1/1	0.4500
19	शंभूशरण शर्मा पिता तेज प्रताप शर्मा पता कोठी भूमिस्वामी	226/2/1/2	0.4500
20	ज्ञानेन्द्र शर्मा पिता तेज प्रताप शर्मा पता कोठी भूमिस्वामी	226/1/3	0.4500
21	मु. बुट्टी बाई बेवा रामऔतार सुरेन्द्र महेन्द्र राजेन्द्र रामजी गोपालजी लालजी संजय पिता रामऔतार महापात्र पता कोठी भूमिस्वामी	226/2/2	0.1000
22	रतनेश द्विवेदी	187	0.0900
23	श्रीमती सरला पत्नी जानकी प्रसाद गुप्ता पता सोनौर,कोठी भूमिस्वामी	186/1	0.0530
24	श्री मनी शर्मा पिता तेज प्रताप शर्मा पता कोठी भूमिस्वामी	186/2/2/1	0.0700
25	शंभूशरण शर्मा पिता तेज प्रताप शर्मा पता कोठी भूमिस्वामी	186/2/2/2	0.0700
26	ज्ञानेन्द्र शर्मा पिता तेज प्रताप शर्मा पता कोठी भूमिस्वामी	186/2/2/3	0.0700
27	राजेश द्विवेदी	186/2/32/2/2	0.8400
28	जानकी प्रसाद गुप्ता पिता रामसजीवन गुप्ता	184/1/1/2/2	0.3000
	योग		9.8280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-624-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर /ग्राम - मौहार

(घ) क्षेत्रफल- 9.4150 हे०

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
1	2	3	4
1	पुष्पेन्द्र सिंह वल्द अंबिका सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी	203	0.3910
2	वर्षा सिंह पिता पुष्पेन्द्र सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी	198/2	0.4000
3	सरोज सिंह पत्नी अंबिका सिंह पुष्पेन्द्र सिंह पिता अंबिका सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	198/3	0.0110
4	पारवती बेवा माधव सिंह उदय प्रताप सिंह जगेन्द्र पिता माधव सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	197/1	0.0630
5	महेन्द्र सिंह पिता उमानारायण सिंह पता मौहार,	197/2	0.0360
6	सरोज सिंह पत्नी अंबिका सिंह पुष्पेन्द्र सिंह पिता अंबिका सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	197/3	0.1560
7	पारवती बेवा माधव सिंह उदय प्रताप सिंह जगेन्द्र पिता माधव सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	196/1	0.1560
8	सरोज सिंह पत्नी अंबिका सिंह पुष्पेन्द्र सिंह पिता अंबिका सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	196/3	0.0880
9	सुरेश सिंह पिता महेशनारायण सिंह सा० देह भूमिस्वामी	194	0.2140
10	मोहन लाल गुप्ता पिता काशी प्रसाद गुप्ता पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	195	0.0310
11	राजकुमार पिता भरतलाल विश्वकर्मा जाति विश्वकर्मापता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	117	0.0430
12	द्वारिका प्रसाद गुप्ता पिता काशी प्रसाद गुप्ता पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	119/1	0.0020
13	मोहन लाल गुप्ता पिता काशी प्रसाद गुप्ता पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	119/2	0.0190
14	बृजेश पिता अयोध्या प्रसाद बानी पता सा० देह भूमिस्वामी	120/2/1/1	0.5550
15	बृजेश पिता अयोध्या प्रसाद बानी पता सा० देह भूमिस्वामी	120/2/1/2/1	
16	संतोष पिता अयोध्या प्रसाद पता सा० देह भूमिस्वामी	120/2/1/2/2	
17	अयोध्या प्रसाद पिता सीताराम पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	120/33/1	
18	संतोष पिता अयोध्या प्रसाद पता सा० देह भूमिस्वामी	120/33/2	

19	जवहिरा कुट्टी सखेरा पिता कलुआ पता सा0 देह भूमिस्वामी	120/4	0.0630
20	लोटन बम्होरिया वल्द शंकर पत सा0 देह भूमिस्वामी	120/5	
21	बेवा रामसिया बहोरिया भोलइया पिता रामसिया कोल पता सा0 देह भूमिस्वामी	120/27	
22	जवहिरा कुट्टी सखेरा पिता कलुआ पता सा0 देह भूमिस्वामी	120/34	
23	पट्टी पिता बिहरिया, टोरईला ददोल भाईलाल छटुआ बिहरीया बाबू पिता बडिया मु. महरनिया बेवा बिहरिया पुत्री बेटी बूटी भूमिस्वामी	120/35.	
24	कुसुम सिंह बेवा राधोमान सिंह राकेश सिंह उमेश सिंह पिता राधोमान सिंह पता कोठी भूमिस्वामी	190/1	0.1910
25	वीरमान सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी	190/2/7	0.0030
26	अभिषेक सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह नाबा. बलि. सर. पिता कृष्ण प्रताप सिंह 1/4 राजबहादुर सिंह जमुना सिंह कृष्णप्रताप सिंह निर्मला सिंह पिता संतबहादुर सिंह 3/4 पता सा0 देह भूमिस्वामी	187	0.0890
27	कुसुम सिंह बेवा राधोमान सिंह राकेश सिंह उमेश सिंह पिता राधोमान सिंह पता कोठी भूमिस्वामी	188/1	0.0210
28	दादूमन सिंह पिता शिवनाथ सिंह पता कोठी भूमिस्वामी	188/2/1	0.0030
29	देवेन्द्र सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी	188/2/2	0.0010
30	शैलेन्द्र सिंह पत्नी राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी	188/2/3	0.0010
31	मनोज सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी	188/2/4	0.0010
32	कृष्णागोपाल सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी	188/2/5	0.0010
33	मु. शांती सिंह बेवा शेरबहादुर सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी	188/2/6	0.0010
34	वीरमान सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी	188/2/7	0.0010
35	मधुकर सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी	188/2/8	0.0010
36	मु. सरोज सिंह बेवा राजेश्वर सिंह प्रशांत सिंह पिता राजेश्वर सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी	188/3/1	0.0100
37	मु. सुन्दरराज सिंह बेवा द्वारकेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी	188/3/2	0.0110
38	कुसुम सिंह बेवा राधोमान सिंह राकेश सिंह उमेश सिंह पिता राधोमान सिंह पता कोठी भूमिस्वामी	189/1	0.1630
39	कुसुम सिंह बेवा राधोमान सिंह राकेश सिंह उमेश सिंह पिता राधोमान सिंह पता कोठी भूमिस्वामी	186/1	0.0100
40	दादूमन सिंह पिता शिवनाथ सिंह पता कोठी भूमिस्वामी	186/2/1	0.0030
41	देवेन्द्र सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी	186/2/2	0.0010
42	शैलेन्द्र सिंह पत्नी राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी	186/2/3	0.0010
43	मनोज सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार,	186/2/4	0.0010

44	मु.शांती सिंह बेवा शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	186/2/5	0.0010
45	वीरभान सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	186/2/6	0.0010
46	मधुकर सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	186/2/7	0.0010
47	सावित्री सिंह पत्नी कमलेश सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	186/2/8	0.0010
48	मु.सुन्दरराज सिंह बेवा द्वारकेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	186/3	0.0100
49	अभिषेक सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह नाबा.बलि.सर. पिता कृष्ण प्रताप सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	185/1	0.0310
50	समरजीत सिंह पिता सजन सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/1/1/1/1	0.6410
51	इन्द्रजीत सिंह तनय सजन सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/1/1/1/2	
52	अमरजीत सिंह तनय सजन सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	173/1/1/1/3	
53	अजीत सिंह तनय सजन सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	173/1/1/1/4	
54	कुसुम सिंह बेवा राधोभान सिंह राकेश सिंह उमेश सिंह पिता राधोभान सिंह पता कोठी भूमिस्वामी	173/1/1/2	
55	उमाप्रताप सिंह पिता ददई सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/1/1/3	
56	दादूमन सिंह पिता शिवनाथ सिंह पता कोठी भूमिस्वामी	173/2/1/1	
57	देवेन्द्र सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/2/1/2	
58	शैलेन्द्र सिंह पत्नी राघवेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/2/1/3	
59	मनोज सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/2/1/4	
60	कृष्णगोपाल सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/2/1/5	
61	मु.शांती सिंह बेवा शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/2/1/6	
62	वीरभान सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/2/1/7	
63	मधुकर सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/2/1/8	
64	रीता सिंह बेवा मधराज सिंह शिवम साक्षी पिता मधराज सिंह जाति क्षत्रिय पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/2/1/9	
65	रावेन्द्र सिंह पिता रामसेवक सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/3/1/1	
66	अर्चना सिंह पत्नी यादवेन्द्र सिंह सौरभ गौरव रोशनी पिता यादवेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	173/3/1/2	
67	अंबिकाचरण रामचरण रमेश कुमार दिनेश कुमार पिता गया प्रसाद जाति ब्रा0 पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	376/1280	0.0680
68	प्रॉमिस त्रिपाठी पिता श्यामा चरण त्रिपाठी जाति ब्रा. पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	376/1281	

69	मोतीमन सिंह पिता हरशरण सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	377/1/1	0.1240
70	गिरवर सिंह पिता विष्णुदीन सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	377/1/2	
71	मनीष सिंह पिता केशव प्रताप सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	377/2/1	
72	मनीष सिंह पिता केशव प्रताप सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	377/2/2	
73	महेन्द्र सिंह रावेन्द्र सिंह वीरेन्द्र सिंह पिता रामगिरदावल सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	377/3	
74	केशव प्रताप सिंह पिता गोविन्द सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	377/4	0.1880
75	केशव प्रताप सिंह पिता गोविन्द सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	378/1	
76	समर बहादुर सिंह पिता गिरवर सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	378/2	0.3950
77	मानसमणि पिता तीरथ प्रसाद पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	500/1	0.4740
78	संजस त्रिपाठी पिता रामबालक त्रिपाठी	501/1	0.0150
79	आशीष त्रिपाठी पिता रामबालक त्रिपाठी	501/2	0.0160
80	मानसमणि पिता तीरथ प्रसाद पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	502	0.0210
81	मु.चंद्रवती बेवा तीर्थ प्रसाद मानसमणि पिता तीर्थ प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमिस्वामी	503	0.0880
82	मोतीमन सिंह पिता हरशरण सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	599/1	0.1570
83	केशव प्रताप सिंह पिता गोविन्द सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	599/2	0.0330
84	समरजीत सिंह पिता सजन सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	600/1/1	0.1170
85	इन्द्रजीत सिंह तनय सजन सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	600/1/2	
86	अमरजीत सिंह तनय सजन सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	600/1/3	
87	अजीत सिंह तनय सजन सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	600/1/4	
88	उमाप्रताप सिंह पिता ददई सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	600/2	
89	श्रीमती कुसमा सिंह पत्नी राजबहादुर सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	606/2	0.1400
90	सजन सिंह उमाप्रताप सिंह पिता ददई सिंह मु0 बेवा ददई सिंह राधा सिंह पिता कौसल सिंह	607	0.0280
91	रावेन्द्र सिंह पिता रामसेवक सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	597/1	0.0020
92	अर्चना सिंह पत्नी यादवेन्द्र सिंह सौरभ गौरव रोशनी पिता यादवेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	597/2	
93	राजेश कुमार पिता रमेश कुमार जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमिस्वामी	611/1	0.0210
94	जयगोपाल पिता अवधशरण जाति ब्रा0 पता सा0 देह भूमिस्वामी	611/3	0.1570
95	रामशंकर पिता अवधशरण पता सा0 देह भूमिस्वामी	611/5	0.1720
96	श्रीमती सीता पुत्री सूर्यबली पता सा0 देह भूमिस्वामी	629	0.2880

97	रामप्रसाद त्रिपाठी लल्लू प्रसाद त्रिपाठी लालमणि त्रिपाठी शिवमणि त्रिपाठी पार्वती श्यामा पुत्री गया प्रसाद त्रिपाठी जाति ब्रा. पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	627/1	0.0310
98	बृजेश कुमार पाल पिता कलुआ पाल पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	627/2/1	
99	बृजेश कुमार पाल पिता कलुआ पाल पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	627/2/2	
100	सुदामा मुरलीधर महेश प्रसाद गणेश प्रसाद पुत्री ममता सुनीता देवी पिता जमुना प्रसाद,शालनी बेवा रामरूपा कशिश महक नब्या राबी नाबा.सर.पिता रामरूप ममता सुनीता देवी पिता जमुना प्रसाद पता सा0 देह भूमिस्वमी	623/1	0.0050
101	गोपालस्वरूप बृजकिशोर पिता रामविश्वास भूमिस्वामी	623/2	0.2350
102	सुदामा प्रसाद पिता जमुना प्रसाद जाति ब्रा. पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	622/1/1/1	
103	मुरलीधर पिता जमुना प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमिस्वामी	622/1/1/2	
104	महेश प्रसाद पिता जमुना प्रसाद जाति ब्रा. पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	622/1/1/3	
105	गणेश प्रसाद पिता जमुना प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमिस्वामी	622/1/1/4	
106	शालिनी पत्नी रामरूप कशिश महक नब्या रावी नाबालिक पिता रामरूप जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमिस्वामी	622/1/1/5	
107	गोपालस्वरूप बृजकिशोर पिता रामविश्वास भूमिस्वामी	622/1/23/1	
108	महेश पिता रामविशाल पाल पता सा0 देह भूमिस्वामी	622/1/23/1/2	
109	मु.केसरिया बेवा भागवत प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमिस्वामी	622/1/23/2	
110	सुदामा मुरलीधर महेश प्रसाद गणेश प्रसाद पुत्री ममता सुनीता देवी पिता जमुना प्रसाद,शालनी बेवा रामरूपा कशिश महक नब्या राबी नाबा.सर.पिता रामरूप ममता सुनीता देवी पिता जमुना प्रसाद पता सा0 देह भूमिस्वमी	622/1/24	
111	गोपाल प्रसाद वल्द रामस्वरूप नावा.सर.पि. रामस्वरूप सा. देह भूमिस्वामी	622/2	
112	अवध नारायण सिंह पिता दशरथ सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	624/1	0.1230
113	हर्षप्रताप सिंह पिता दगपाल सिंह बघेल पता सा0 देह भूमिस्वामी	624/2	
114	शिवांशदेव पुत्र वीरेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	574/1	0.0210
115	शिवांशदेव पुत्र वीरेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	574/2	
116	राकेश सिंह पिता जयवीर सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	573/1/1/1/1/2	0.5810
117	मुकेश सिंह पिता जयबीर सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	573/1/1/1/1/3	
118	शैलेन्द्र सिंह पिता हनुमान सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	573/1/23/1/1/1	
119	शिवेन्द्र सिंह पिता शैलेन्द्र सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	573/1/23/1/1/2	0.5040
120	शिवांशदेव पुत्र वीरेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	573/2/1	0.3600
121	श्रीमती उषा त्रिपाठी पिता मनीष त्रिपाठी पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	572	0.0420

122	योगेन्द्र सिंह अशोक सिंह राजेन्द्र सिंह पिता शिवनंदन सिंह नरवेन्द्र सिंह कृष्णकांत सिंह पिता तख्तबहादुर सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	561/1	0.0110
123	बुधेन्द्र सिंह कौशल सिंह मोतीमन सिंह कमलमान सिंह राजेन्द्र सिंह घनवंत सिंह पिता रविनंदन सिंह कुसुम पत्नी चंद्रमान सुनील लक्ष्मी उर्मिला अंकुश अनुज अंकित शैलेन्द्र पिता चंद्रमान पता सा0 देह भूमिस्वामी	561/2	
124	नारेन्द्र सिंह सुरेन्द्र सिंह पिता तेज प्रताप सिंह व चंद्रमान सिंह बुधेन्द्र सिंह मोतीमन सिंह राजेन्द्र सिंह कौशल सिंह कमलमान सिंह घनवंत सिंह पिता रविनंदन सिंह शिवपाल सिंह मनमोहन सिंह पिता जगतबहादुर सिंह मु. अभिलाष पुत्री रुद्रप्रताप सिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	571/1	0.1520
125	बुधेन्द्र सिंह कौशल सिंह मोतीमन सिंह कमलमान सिंह राजेन्द्र सिंह घनवंत सिंह पिता रविनंदन सिंह कुसुम पत्नी चंद्रमान सुनील लक्ष्मी उर्मिला अंकुश अनुज अंकित शैलेन्द्र पिता चंद्रमान पता सा0 देह भूमिस्वामी	571/2	0.2020
126	योगेन्द्र सिंह अशोक सिंह राजेन्द्र सिंह पिता शिवनंदन सिंह नरवेन्द्र सिंह कृष्णकांत सिंह पिता तख्तबहादुर सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	562/1	0.0670
127	बुधेन्द्र सिंह कौशल सिंह मोतीमन सिंह कमलमान सिंह राजेन्द्र सिंह घनवंत सिंह पिता रविनंदन सिंह कुसुम पत्नी चंद्रमान सुनील लक्ष्मी उर्मिला अंकुश अनुज अंकित शैलेन्द्र पिता चंद्रमान पता सा0 देह भूमिस्वामी	562/2	
128	ज्ञानेन्द्र सिंह पिता प्रेमनारायण सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	563/1/2	0.2470
129	बृजेन्द्र सिंह पिता प्रेमनारायण सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी	563/1/3	0.0700
130	पुष्पेन्द्र सिंह पिता चंद्रवली सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	563/2	0.2060
131	मु. सरोज सिंह बेवा प्रमोद सिंह मनोज सिंह तनय रामलखन सिंह अन्नपूर्णा सिंह पत्नी अमोद सिंह विपिन सिंह विनय सिंह पिता अमोद सिंह पता बडौर तह.कोठी भूमिस्वामी	558/1/1	0.6260
कुल योग रकबा हे.में-			9.4150

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-625-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर /ग्राम - सेमरिया

(घ) क्षेत्रफल- 7.2110 हे०

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
1	2	3	4
1	सुरतिया बेवा हंसा संदीप अरविन्द नारेन्द्र मीरा अन्नू रंजना पिता हंसाबद्री पिता त्रिवेणी राजरानी बेवा प्यारेलाल राजेंद्रप्रसाद सभापत उमेश प्रदीप सुनीता पिता प्यारेलाल पता करसरा कोठी सा. देह भूमि स्वामी	201	0.2850
2	दुलारे दयाराम पिता सुदामा एवं कुसमा बगै पुत्री सुदामा काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1	0.2290
3	मु.परवतिया बेवा कुंजल नवलकिशोर पिता कुंजल काछी पता सा. पैकौरा भूमि स्वामी	200/1/2	0.0390
4	मोहलाल कुशवाहा पिता रघुराई पता सेमरिया कोठी सतना भूमि स्वामी	199/1/1	0.1260
5	सूकाली कुशवाहा रघुराई पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	199/1/2	0.0820
6	मु.सुरतिया बेवा रामकिशोर परमलाल वल्द रामकिसोर सुरतिया बेवा पमलाल वल्द रामकिसोर जाति काछी पता सेमरिया कोठी सा. देह भूमि स्वामी	199/2	0.0700
7	प्रेमलाल पिता जागेश्वर पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	198	0.1800
8	प्रेमलाल पिता जागेश्वर पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	197	0.0070
9	धनपत पिता भगवत पता सा.देह भूमि स्वामी	196/2	0.0180
10	कुआरे पिता रामदास पता सेमरिया भूमि स्वामी	195/1/1	0.0300
11	मु.बेलाबाई बेवा रामखेलावन जनकलाल पिता रामखेलावन काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	195/2/1	0.0050
12	धनपत पिता भगवत पता सा.देह भूमि स्वामी	195/3/1	0.1800
13	सियाशरण पिता भगवत प्रसाद जाति काछी पता सेमरिया कोठी सा. देह भूमि स्वामी	195/3/2	0.1400
14	कुआरे पिता रामदास पता सेमरिया भूमि स्वामी	194/1	0.0070
15	सियाशरण पिता भगवत प्रसाद जाति काछी पता सेमरिया कोठी सा. देह भूमि स्वामी	194/2	0.0130
16	मु.बेलाबाई बेवा रामखेलावन जनकलाल पिता रामखेलावन काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	193/1/1	0.0840

17	मु.केशकली पत्नी दीनबन्धु एवं हनुमानदीन राजाभइया सुशीला पिता दीनबन्धु पता सा.देह भूमि स्वामी	193/1/2	0.0640
18	सियाशरण पिता भगवत प्रसाद जाति काछी पता सेमरिया कोठी सा. देह भूमि स्वामी	193/2	0.0440
19	गनपत बल्द चुनवादी लालजी पिता मोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	193/3	0.0020
20	कारेलाल पिता बैजनाथ पता बौलिहा सेमरिया कोठी सा. देह भूमि स्वामी	189/1	0.0820
21	रामस्वरूप पिता बैजनाथ पता बौलिहा सेमरिया कोठी सा. देह भूमि स्वामी	189/2	0.0520
22	प्रेमलाल पिता गैवी हरकेश पिता गैवी पता सेमरिया कोठी सा.देह भूमि स्वामी	135/1	0.0110
23	गुड्डुवा वल्द दशइया पता सा. देह भूमि स्वामी	136	0.1560
24	रामबहारी बेनी माधव लालमन गोरेलाल पि. रम्मा पता सा.देह भूमि स्वामी	137	0.0020
25	रामरूप पिता रमचन्द्र पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	138/1	0.0400
26	रामस्वरूप पिता रामचन्द पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	138/2	0.0030
27	रुद्रप्रसाद पिता विश्वनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	139/1	0.1690
28	सुन्दरलाल वल्द विशेषर पता सा. देह भूमि स्वामी	139/2	0.1450
29	श्यामसुन्दर पिता विश्वनाथ पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	140/1	0.0090
30	अयोध्या प्रसाद कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	141/1	0.0030
31	अयोध्या प्रसाद कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	142/1	0.0650
32	काशीदीन पिता रामगुलाम जाति काछी पता सेमरिया कोठी	142/3	0.0840
33	राजू रामकेश राकेश पिता छन्नूलाल मु.बेटीबाई बेवा छन्नूलाल जाति काछी सा. देह भूमि स्वामी	142/4	0.0360
34	सभापति कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	142/5	0.0610
35	लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	142/6	0.0220
36	रामफल तनय भगरथिया पता सा. देह भूमि स्वामी	143	0.0310
37	लालमन पिता दौवा काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	144	0.0140
38	राममिलन वल्द दौवा पता सा. देह भूमि स्वामी	145	0.0020
39	फूलचन्द पिता गणेशप्रसाद जाति कलार पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	149/1/1	0.0220
40	केशवप्रसाद पिता गणेशप्रसाद जाति कलार पता सेमरिया कोठी	149/1/2	0.0570
41	केशवप्रसाद पिता गणेशप्रसाद जाति कलार पता सेमरिया कोठी	149/2/1	0.0840
42	लक्ष्मी प्रसाद पिता गणेश जाति कलार पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	149/2/2	0.0240
43	अयोध्या प्रसाद कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	150/1	0.0230
44	काशीदीन पिता रामगुलाम जाति काछी पता सेमरिया कोठी	150/3	0.0030
45	सभापति कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	150/5	0.0400
46	अयोध्या प्रसाद कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	102/1	0.0570

47	रामस्वरूप कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी	102/2	0.0570
48	काशीदीन पिता रामगुलाम जाति काछी पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	102/3	0.0570
49	राजू रामकेश राकेश पिता छन्नूलाल मु.बेटीबाई बेवा छन्नूलाल जाति काछी सा. देह भूमि स्वामी	102/4	0.0570
50	सभापति कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	102/5	0.0300
51	लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	102/6	0.0310
52	अयोध्या प्रसाद रामस्वरूप काशीदीन सभापति लक्ष्मीप्रसाद पिता रामगुलाम मु. बेटीबाई पत्नी छन्नूलाल एवं राजू रामकेश राकेश पिता छन्नूलाल रामऔतार अच्छेलाल पिता सोनमा मु.बेवा बहुदरा एवं सुखदेव रज्जू राजमन पिता लल्ला हीरालाल पिता बैजनाथ कैलाश पिता शम्भू एवं मथुरा राजाराम झुरी पिता चुनकाई पता सा. देह भूमि स्वामी	152	0.2800
53	रामबहोरी पिता श्यामलाल साकिन देह भूमि स्वामी	285/1/3	0.0020
54	बृदावन पिता भइया लाल साकिन देह भूमि स्वामी	285/2	0.0550
55	गयाप्रसाद पिता शंभू प्रसाद ब्रा0 सा0 सेमरिया	287/1	0.0680
56	ललिता प्रभात सौरभ ज्योत्सना पिता सुंदरलाल त्रिपाठी साकिन देह	287/2	0.0280
57	ललिता प्रभात सौरभ ज्योत्सना पिता सुंदरलाल त्रिपाठी साकिन देह	289/1	0.0130
58	संखी आशा गिरजा पुत्री छोटा ब्रा0 सा0 करसरा	289/2	0.0370
59	बद्री पिता जगतनाथ ब्रा0 सा0 करसरा	289/3	0.0770
60	गयाप्रसाद पिता शंभू प्रसाद ब्रा0 सा0 सेमरिया	290	0.0110
61	प्रवीण सिंह प्रदीप सिंह पिता जय सिंह सा0 देह भूमि स्वामी	293/1	0.0120
62	अनिल कुमार पिता दिनेश कुमार सिंह साकिन देह	291/1	0.0640
63	प्रवीण सिंह प्रदीप सिंह पिता जय सिंह सा0 देह भूमि स्वामी	291/5	0.0710
64	श्रीमती आशारानी पत्नी तपसी प्रसाद एवं विपिन नितिन पिता तपसी प्रसाद ब्रा0 साकिन करसरा	291/8/2	0.0100
65	निशा सिंह पति अनूप सिंह अनुपम सिंह अनुराग सिंह पिता अनूप सिंह साकिन देह भूमि स्वामी	291/8/1	0.1220
66	रामभद्र पिता लालमन नामदेव साकिन देह	291/10	0.0700
67	अनिल कुमार पिता दिनेश कुमार सिंह साकिन देह	292/1	0.0130
68	भगवानदीन रामाधार पिता प्रयाग साकिन देह भूमि स्वामी	570	0.2440
69	भगवानदीन रामाधार पिता प्रयाग साकिन देह भूमि स्वामी	571	0.0080
70	रमाकांत, अनुज, लक्ष्मीकांत, पिता कामता रमेश कुमार राकेश कुमार संदीप कुमार, पिता गुलाबचंद्र ऋषिकेश पिता मुकुंद बिहारी साकिन देह भूमि स्वामी	572/1	0.0250
71	राममुवन पिता बृजकिशोर ब्रा0 साकिन देह भूमि स्वामी	572/4/2	0.0450
72	सुमित्रा पत्नी रामसुलोचन शशिप्रभा, अरुण गौतम, कुरुणा तिवारी, अवनीश पाण्डेय, अरविंद पिता रामसिलोचन पाण्डेय श्रीमती गुलाब बाई पत्नी जुगुलकिशोर कैलाश भारती पाण्डेय पिता युगुलकिशोर पाण्डेय	578	0.1280
73	निशा सिंह पति अनूप सिंह विजय लक्ष्मी पति बीरध्वज सिंह अखण्ड प्रताप सिंह पिता अजीत सिंह	619/2/1	0.2240

74	अजीत सिंह पिता केशव सिंह साकिन देह भूमि स्वामी	619/3	0.1580
75	अजीत सिंह पिता केशव सिंह साकिन देह भूमि स्वामी	620/3	0.0100
76	मथुरा देवी राजेन्द्र प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद सुरेश प्रसाद पिता लल्लू प्रसाद साकिन देह भूमि स्वामी	715/1	0.0180
77	भगवानदीन रामाधार पिता प्रयाग साकिन देह भूमि स्वामी	715/1/5	0.0870
78	रामऔतार पिता भानू प्रताप साकिन देह	715/2	0.1080
79	अरबिंद कुमार पिता रामसुलोचन साकिन देह भूमि स्वामी	715/23/5/2	0.1270
80	भगवानदीन रामाधार पिता प्रयाग मंगली पिता विसरमा साकिन देह भूमि स्वामी	714/1	0.0100
81	केशकली पत्नी रामबालक नंद कुमार पिता रामबालक साकिन करसरा भूमिस्वामी	742	0.1140
82	केशकली पत्नी रामबालक नंद कुमार पिता रामबालक साकिन करसरा भूमिस्वामी	742/781/1	0.0530
83	भगवानदीन रामाधार पिता प्रयाग मंगली पिता विसरमा साकिन देह भूमि स्वामी	742/781/2	0.0260
84	रमेश कुमार पिता रामाधार साकिन देह भूमि स्वामी	756/2	0.0060
85	छोटेराल पिता मुड़िया दहायत साकिन कोठी भूमि स्वामी	747/1	0.0900
86	चुनकाई उर्फ चुनकावन पिता बुद्धा प्रजापति साकिन महदेवा	747/2/1	0.1090
87	श्यामसुंदर पिता जागेश्वर दहायता साकिन कोठी	747/2/2	0.0620
88	राकेश कुमार शुक्ला पिता जय कुमार शुक्ला साकिन करसरा	747/3/2/1	0.0070
89	रविशंकर पिता विजय कुमार शुक्ला साकिन करसरा भूमि स्वामी	747/3/2/2	0.0420
90	जय कुमार रमाकांत लीला कमलेश पिता प्यारेलाल साकिन करसरा भूमि ट	747/3/3	0.0120
91	चुनकाई उर्फ चुनकावन पिता बुद्धा प्रजापति साकिन महदेवा	746/2	0.0060
92	कच्छेदीलाल पिता रामरुचि साकिन देह भूमि स्वामी	188/1	0.0470
93	दरबारीलाल पिता भैयालाल काछी साकिन देह	188/2/3	0.0580
94	मु0 गिरिजा बेबा लालता प्रसाद रामसिरोमणि रामनिवास श्रीनिवास पिता ललिता प्रसाद सियादुलारी शकुंतला पुत्री ललिता मु0 कलोरिया बेबा ईश्वरदीन पप्पू संजू बुल्ली पिता ईश्वरदीन ब्रा0 साकिन देह भूमि स्वामी	186	0.0760
95	केशवप्रसाद पिता गणेशप्रसाद जाति कलार पता सेमरिया कोठी	187/1	0.0020
96	रामफल तनय भगरथिया पता सा. देह भूमि स्वामी	181	0.0640
97	काशीदीन पिता रामगुलाम काछी साकिन देह भूमि स्वामी	180/3	0.0030
98	राजू पिता छननूलाल, राजू रामकेश राकेश पिता छुन्नूलाल मु0 बेटी बाई बेबा छुन्नूलाल काछी	180/4	0.0170
99	समापति कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी	180/5	0.0740
100	लक्ष्मी प्रसाद पिता रामगुलाम कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी	180/6	0.0640
101	शिवकुमारी पत्नी रामगणेश पुरुषोत्तम, राजेश, राजकुमार, विनोद, दिलीपकुमार, गुड़िया राजकुमारी, पप्पी, नीतू, नीता, पिता रामगणेश साकिन देह भूमि स्वामी	214/1	0.0580
102	शिवकुमारी पत्नी रामगणेश पुरुषोत्तम, राजेश, राजकुमार, विनोद, दिलीपकुमार, गुड़िया राजकुमारी, पप्पी, नीतू, नीता, पिता रामगणेश साकिन देह भूमि स्वामी	215/1	0.0200

103	केशकली बेबा अयोध्या प्रसाद रामकिताब बृदावन रामजी पिता अयोध्या प्रसाद कुशवाहा साकिन देह	216/1	0.0120
104	संतलाल पिता रामकिताब कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी	217/1/1/5	0.0640
105	लोलवा पिता भैयालाल काछी साकिन देह भूमि स्वामी	269/1/1	0.0800
106	बालमीक पिता द्वारिका प्रसाद कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी	269/1/2/1	0.0450
107	विनोद शिवकुमार पिता रामलाल कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी	269/1/3	0.0350
108	जगदीश पिता भैयालाल साकिन देह भूमि स्वामी	269/1/4	0.0450
109	इंद्रजीत पिता शंकर प्रसाद काछी साकिन देह	269/2	0.0100
110	लक्ष्मण प्रसाद पिता लोलवा कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी	241/1/1	0.0060
111	इंद्रजीत पिता शंकर प्रसाद काछी साकिन देह	241/2	0.1060
112	दशोदा बेवा तिजोला रमेश जितेंद्र लल्लू प्रसाद अहिरवार पिता तिजोला साकिन देह भूमि स्वामी	249/1/1	0.0080
113	कुमरवा पिता चिदडा जाति चमार साकिन देह भूमि स्वामी	249/3	0.0560
114	सिल्ला पिता चिदडा जाति चमार साकिन देह भूमि स्वामी	249/2	0.2050
115	बबुआ पिता चिदडा जाति चमार साकिन देह भूमि स्वामी	249/4	0.0110
116	जमुना पिता मंगलवा चमार साकिन देह भूमि स्वामी	249/1/2	0.0080
117	भोला पिता सुखुआ कुम्हार साकिन करसरा	630/1	0.0870
118	सभापति कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी	179/5	0.0080
119	पारवती पत्नी सुंदरलाल कामता प्रसाद बुद्धू प्रसाद कैलाश प्रसाद उमेश कुमार भागवती पिता सुंदरलाल साकिन देह	724	0.0180
120	कामता पिता कालीचरण साकिन देह भूमि स्वामी	728/2	0.1310
121	रमाकांत, अनुज, लक्ष्मीकांत, पिता कामता रमेश कुमार राकेश कुमार संदीप कुमार, पिता गुलाबचंद्र ऋषिकेश पिता मुकुंद बिहारी साकिन देह भूमि स्वामी	573/1	0.0070
	योग		7.2110

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद—सतना शाखा नहर एवं बांधी माइनर तथा सेमरिया माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-626-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर /ग्राम - दिदौघ

(घ) क्षेत्रफल- 5.8800 हे०

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे. में
1	2	3	4
1	रामकृष्ण पिता बालाप्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० दिदौघ सतना भूमिस्वामी	526/1	0.0630
2	प्रीती मिश्रा बेवा रामाकान्त मिश्रा, गोविंद मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा, स्वामी मिश्रा, राधिका मिश्रा पुत्री रमाकान्त मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदौघ कोठी सतना भूमिस्वामी	526/2	0.0310
3	विद्यासागर मिश्रा पिता द्वारिका प्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदौघ कोठी सतना भूमिस्वामी	527/2	0.1460
4	विद्यासागर मिश्रा पिता द्वारिका प्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदौघ कोठी सतना भूमिस्वामी	523	0.0360
5	विद्यासागर मिश्रा पिता द्वारिका प्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदौघ कोठी सतना भूमिस्वामी	529	0.0360
6	विद्यासागर मिश्रा पिता द्वारिका प्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदौघ कोठी सतना भूमिस्वामी	524	0.0810
7	रामकृष्ण पिता बालाप्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० दिदौघ सतना भूमिस्वामी	519/2/1	0.0180
8	रमाकान्त पिता बाला प्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० दिदौघ सतना भूमिस्वामी	519/2/2	0.0090
9	बाबूलाल सिंह, ददन सिंह पुत्र रंगदेव सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदौघ कोठी सतना भूमिस्वामी	520/1	0.0330
10	लीलावती सिंह बेवा यादवेन्द्र सिंह, विमला सिंह पुत्री यादवेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, भुवनप्रताप सिंह, लवकेश सिंह, केशरीप्रताप सिंह, रामकेश सिंह, राजकेश सिंह, जयकुमार सिंह, शैलेन्द्र सिंह पुत्र यादवेन्द्र सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदौघ दिदौघ कोठी	520/2/1	
11	राम पती बेवा बंशराज सिंह, चन्द्रशेखर सिंह पुत्र बंशराज सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदौघ कोठी सतना भूमिस्वामी	520/2/2	
12	राजकुमारी पत्नी चन्द्रभान सिंह बघेल पता सतना भूमिस्वामी	520/2/3/1	
13	अशोक सिंह पिता कौशल सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदौघ कोठी	520/2/3/2	
14	अम्बिका सिंह पुत्र कौशल सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदौघ कोठी	520/2/3/3	

15	रामकृष्ण पिता बालाप्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० दिदोध	521/2/1	0.0560
16	प्रीती मिश्रा बेवा रामाकान्त मिश्रा, गोविंद मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा, स्वामी मिश्रा, राधिका मिश्रा पुत्री रमाकान्त मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	521/2/2	0.0270
17	विद्यासागर मिश्रा पिता द्वारिका प्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	521/4	0.0940
18	ब्रजेश प्रताप सिंह पिता बुधिमान सिंह दिदोध सतना भूमिस्वामी	531/1/1	0.2980
19	बिजयराज सिंह पिता साधू सिंह दिदोध सतना भूमिस्वामी	531/1/2	
20	इन्द्रपाल सिंह पिता साधू सिंह दिदोध सतना भूमिस्वामी	531/1/3	
21	राजन सिंह पिता बिजयराज सिंह बघेल दिदोध सतना भूमिस्वामी	531/2	
22	लक्ष्मीकान्त त्रिवेदी, कौशलप्रसाद त्रिवेदी, करुणेश त्रिवेदी, श्रीकान्त त्रिवेदी पुत्र चन्द्रभूषण प्रसाद त्रिवेदी, रामकली त्रिवेदी बेवा मुनीन्द्र त्रिवेदी, हरिशंकर त्रिवेदी, हरिशंकर त्रिवेदी पुत्र मुनेन्द्र त्रिवेदी, गायत्री त्रिवेदी बेवा रामावतार त्रिवेदी, रमेश त्रिवेदी, उमेश त्रिवेदी रामावतार त्रिवेदी, प्रेमवती त्रिवेदी, सुशीला त्रिवेदी, विमला त्रिवेदी, कृष्णा त्रिवेदी, गीता त्रिवेदी, सुनीता, पुष्पा त्रिवेदी पुत्री रामावतार त्रिवेदी, राजाराम त्रिवेदी पुत्र रामनिहोर त्रिवेदी जाति ब्रा० पता पहाडीखेरा पन्ना भूमिस्वामी	561/1	0.3000
23	सुनीता पत्नी उमेश त्रिवेदी पता सा०देह भूमिस्वामी	561/2	0.0530
24	कृष्णचन्द्र सिंह पिता रामदुलारे सिंह जाति क्षत्रिय पता कोठी सतना भूमिस्वामी	555/1	0.0330
25	रामविश्वास पिता रामगोपाल जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	555/2	0.0840
26	रघुनाथ कुमारी बेवा हीरामन सिंह बलवंत सिंह रामचन्द्र सिंह राघवेन्द्र सिंह पिता हीरामन सिंह दिदोध सतना भूमिस्वामी	552	0.0840
27	कृष्णचन्द्र सिंह पिता रामदुलारे सिंह जाति क्षत्रिय पता कोठी सतना भूमिस्वामी	553	0.0250
28	कृष्णगोपाल सिंह पिता काशी प्रताप सिंह, शुशीला सिंह बेवा केशव प्रताप भूपेंद्र उपेंद्र पुष्पेन्द्र प्रमिला सरला पिता केशव प्रताप सिंह, ललिता सिंह बेवा कृष्ण कुमार पंकज अम्बुज अनुज प्रताप पिता कृष्ण कुमार सिंह, श्यामा सिंह बेवा कृष्ण प्रताप दीपक आशीष पूजा प्रियंका पिता कृष्ण प्रताप सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	513	0.0400
29	अरुण कुमार पुत्र श्यामलाल जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	551	0.0500
30	अरुण कुमार पुत्र श्यामलाल जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	550	0.1070
31	अरुण कुमार पुत्र श्यामलाल जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	549/1	0.2530
32	संतोष कुमार मिश्रा पिता श्यामलाल मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	549/2	
33	संतोष कुमार मिश्रा पिता श्यामलाल मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	544/1	0.0870
34	रामकृष्ण पिता बालाप्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० दिदोध सतना भूमिस्वामी	544/2/1	0.1640

35	प्रीती मिश्रा बेवा रामाकान्त मिश्रा, गोविंद मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा, स्वामी मिश्रा, राधिका मिश्रा पुत्री रमाकान्त मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	544/2/2	0.0810
36	रामकृष्ण पिता बालाप्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० दिदोध सतना भूमिस्वामी	545/2/1	0.0270
37	प्रीती मिश्रा बेवा रामाकान्त मिश्रा, गोविंद मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा, स्वामी मिश्रा, राधिका मिश्रा पुत्री रमाकान्त मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	545/2/2	0.0140
38	चन्द्रवती बेवा रामप्रकाश दीपक पिता रामप्रकाश मु० गोरबाई बेवा सुखदेव प्रसाद ओमप्रकाश राजकिशोर पिता सुखदेव प्रसाद लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण आदित्य नारायण पिता रघुवर शरण कोठी सतना भूमिस्वामी	918	0.0230
39	भारती सिंह, संजय सिंह पुत्र देव नारायण सिंह, क्षमा सिंह पुत्री देवनारायण सिंह, पुनीत सिंह पुत्र देवनारायण सिंह, प्रतिमा सिंह बेवा पुष्पराज सिंह, वैभव सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह, वैशाली सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	920	0.0730
40	भारती सिंह, संजय सिंह पुत्र देव नारायण सिंह, क्षमा सिंह पुत्री देवनारायण सिंह, पुनीत सिंह पुत्र देवनारायण सिंह, प्रतिमा सिंह बेवा पुष्पराज सिंह, वैभव सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह, वैशाली सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	922	0.0010
41	भारती सिंह, संजय सिंह पुत्र देव नारायण सिंह, क्षमा सिंह पुत्री देवनारायण सिंह, पुनीत सिंह पुत्र देवनारायण सिंह, प्रतिमा सिंह बेवा पुष्पराज सिंह, वैभव सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह, वैशाली सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	923	0.0070
42	भारती सिंह, संजय सिंह पुत्र देव नारायण सिंह, क्षमा सिंह पुत्री देवनारायण सिंह, पुनीत सिंह पुत्र देवनारायण सिंह, प्रतिमा सिंह बेवा पुष्पराज सिंह, वैभव सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह, वैशाली सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	919	0.2540
43	कृष्णराज सिंह पुत्र शिवभूषण सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	780/2	0.0420
44	माताप्रसाद पिता भरोसा सिंह व रामदुलारी बेवा रामप्रताप सिंह समरबहादुर सिंह पिता रामप्रताप सिंह विसराजू देवी बेवा शिवप्रताप सिंह उमाप्रताप सिंह राम प्रताप सिंह पिता शिवप्रताप सिंह पता सा०देह भूमिस्वामी	777/1	0.1600
45	राममनोज सिंह पिता दशरथ सिंह पता दिदोध कोठी	775/1	0.2580
46	राममनोज सिंह पिता दशरथ सिंह पता दिदोध कोठी	775/2	0.2590
47	मु. दिलाज कुमारी बेवा साधू सिंह शिवप्रताप सिंह पिता रामनेवाज सिंह मु. बेवा रामनेवाज सिंह काशी प्रताप सिंह वल्द वासुदेव सिंह पता दिदोध भूमिस्वामी	770/1	0.2030
48	राममनोज सिंह पिता दशरथ सिंह पता दिदोध कोठी	787/1	0.1630
49	राममनोज सिंह पिता दशरथ सिंह पता दिदोध कोठी	787/2	0.2010
50	राममनोज सिंह पिता दशरथ सिंह पता दिदोध कोठी	814	0.0030
51	ददन सिंह वल्द रंगदेव सिंह पता सा०देह भूमिस्वामी	816/1	0.1420
52	ददन सिंह वल्द रंगदेव सिंह पता सा०देह भूमिस्वामी	769	0.0880

53	शिवराज सिंह राजवहादुर सिंह पि. जयदेव सिंह व मु. बेवा जयदेव सिंह शिवभूषण पि. मना सिंह, मु. रामपति बेवा विष्णुदेव वीरदेव पुष्पेन्द्र पिता विष्णुदेव सिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	705/1/1	0.1400
54	जयकुमार सिंह बघेल पिता यादवेंद्र सिंह बघेल पता दिदोध कोठी	705/1/23/2	0.0920
55	लीलावती सिंह बेवा यादवेन्द्र सिंह, विमला सिंह पुत्री यादवेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, भुवनप्रताप सिंह, लवकेश सिंह, केशरीप्रताप सिंह, रामकेश सिंह, राजकेश सिंह, जयकुमार सिंह, शैलेन्द्र सिंह पुत्र यादवेन्द्र सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध दिदोध कोठी	767/1	0.0040
56	अम्बिका सिंह पुत्र कौशल सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी	767/2	
57	श्री प्रकाश त्रिवेदी, सत्यप्रकाश त्रिवेदी पुत्र द्वारिका प्रसाद त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	832/23	0.1160
58	श्री प्रकाश त्रिवेदी, सत्यप्रकाश त्रिवेदी पुत्र द्वारिका प्रसाद त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	831	0.0020
59	नरेंद्र त्रिवेदी पिता जयप्रकाश त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी	853/1	0.2310
60	शिवप्रकाश पिता साधू पता सा०देह भूमि स्वामी	853/2	0.0150
61	जयनारायण सिंह पिता बबू सिंह पता सा०देह भूमिस्वामी	839	0.3520
62	राजकिशोर त्रिवेदी पुत्र सुखदेव प्रसाद त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	840	0.3800
63	राजकिशोर त्रिवेदी पुत्र सुखदेव प्रसाद त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	843	0.0630
64	राजकिशोर त्रिवेदी पुत्र सुखदेव प्रसाद त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	844	0.2460
65	राजकिशोर त्रिवेदी पुत्र सुखदेव प्रसाद त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी	845/2	0.0110
66	लक्ष्मीकान्त त्रिवेदी, कौशलप्रसाद त्रिवेदी, करुणेश त्रिवेदी, श्रीकान्त त्रिवेदी पुत्र चन्द्रभूषण प्रसाद त्रिवेदी, रामकली त्रिवेदी बेवा मुनीन्द्र त्रिवेदी, हरिशंकर त्रिवेदी, हरिशंकर त्रिवेदी पुत्र मुनेन्द्र त्रिवेदी, गायत्री त्रिवेदी बेवा रामावतार त्रिवेदी, रमेश त्रिवेदी, उमेश त्रिवेदी रामावतार त्रिवेदी, प्रेमवती त्रिवेदी, सुशीला त्रिवेदी, विमला त्रिवेदी, कृष्णा त्रिवेदी, गीता त्रिवेदी, सुनीता, पुष्पा त्रिवेदी पुत्री रामावतार त्रिवेदी, राजाराम त्रिवेदी पुत्र रामनिहोर त्रिवेदी जाति ब्रा०	846/1	0.0210
67	सुनीता पत्नी उमेश त्रिवेदी पता सा०देह भूमिस्वामी	846/2	
कुल योग रकबा हे.में-			5.8800

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-627-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर /ग्राम - कल्हारी

(घ) क्षेत्रफल- 1.8790 हे०

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.में
1	2	3	4
1	इंद्रजीत,पेचम,रामचन्द्र,सेजू देवी पिता रमेश पता कल्हारी रघुराजनगर सतना	4/1/1/1	0.0490
2	सुरेश पिता मेगलिया पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०	4/1/1/2	0.1750
3	मेगलिया पिता रामाधीन जाति काछी पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०	4/1/1/3	0.0850
4	श्रीमती राजलली पत्नी अच्छेलाल कुशवाहा पता कल्हारी रघुराजनगर सतना	4/1/2/2	0.0910
5	इंद्रजीत,पेचम,रामचन्द्र,सेजू देवी पिता रमेश पता कल्हारी रघुराजनगर सतना	5/1	0.2750
6	महेन्द्र पिता रामऔतार ब्राम्हण पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०	8/1	0.0090
7	महेन्द्र पिता रामऔतार ब्राम्हण पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०	9/1/1	0.3380
8	लोकेश पिता रामऔतार ब्राम्हण पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०	9/1/2	0.3470
9	पुष्पराज पिता श्यामसुन्दर उपाध्याय सा० नरायणपुर	9/4/1	0.0400
10	बाबूलाल पिता ददुलवा कुम्हार पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०	10/1	0.0200
11	बाबूलाल पिता ददुलवा कुम्हार पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०	11/1	0.2200
12	ब्रजेश पिता कामता गोरीबाई पत्नी गणेश योगेश संजना पिता गणेश प्रजापति लवकेश पिता कामता पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०	11/2/3	0.2300
	कुल योग रकबा हे.में-		1.8790

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-643-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर /ग्राम - करसरा

(घ) क्षेत्रफल- 4.4840 हे०

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
1	2	3	4
1	तीरथ पिता रामसजीवन लोहार सा० देह भूमिस्वामी	967	0.0440
2	तीरथ पिता रामसजीवन लोहार सा० देह भूमिस्वामी	968/1/2	0.2680
3	लालामइया पिता ददन प्रसाद लोहार सा० देह भूमिस्वामी	968/3/2	0.0340
4	रामजी पिता गैवीदीन काछी सा० देह भूमिस्वामी	970/2	0.1010
5	मु० आशारानी पत्नी तपसी,विपिन नितिन पिता तपसी ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	970/1	0.2990
6	पचोला पिता सीताराम ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	978	0.0760
7	सुशीला बेवा कृष्णाकिशोर,विनीत पिता कृष्णाकिशोर ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	977/2	0.0980
8	सालिकराम पिता बंदी प्रसाद ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	985/1	0.0660
9	रामाधार पिता बंदी प्रसाद ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	985/2	0.0660
10	नत्थू पिता बालाप्रसाद ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	986/1	0.1050
11	मिथलेश पिता त्रिलोकी ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	986/2/1	
12	सुरेश पिता त्रिलोकी ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	986/2/2	
13	दिनेश पिता त्रिलोकी ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	986/2/3	
14	राकेश,विजय,राजकुमार पिता रामाधार,पुत्तीबाई बेवा बिहारी,जयकुमार,रमाकांत,लीलावती,कमलेश पिता प्यारेलाल ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	987	0.2900
15	अवधबिहारी पिता पालूराम ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	989/1	0.0920
16	संतोष,कमलेश,विद्या,अशोक पिता फूलचंद्र ब्रा० सा० देह	989/2	0.1010
17	रामकलेश प्रसाद पिता रामलाल ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	940/2	0.0120
18	रामकलेश प्रसाद पिता रामलाल ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	941/2/5	0.0210
19	राजेश पिता गोपीनाथ ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	990/1/1	0.0320
20	अनिल पिता गोपीनाथ ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	990/1/2	0.0850
21	केदार पिता सुखदेव,केशकली,चंद्रवती पिता सुखदेव ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	939	0.3520
22	शैलकुमार पत्नी निर्मल ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	937	0.4150
23	राहुल पिता महेन्द्र कुमार ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	992/2	0.0460

24	कुसुमबाई पुत्री रामनिरंजन, उपेन्द्र, सीमा पिता जगतनारायण, विमला बेवा विजय, वीरेन्द्र, लक्ष्मी, प्रियंक पिता विजय कुमार ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	992/3/1	0.0620
25	शांती पत्नी रामलाल, उर्मिला, संतोष, सुनीता, अनीता, निधि, निराशा पिता रामलाल ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	992/3/3	0.0590
26	रामबहोरी पिता श्यामलाल ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	992/3/4	0.0510
27	संतोष, कमलेश, विद्या, अशोक पिता फूलचंद्र ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	993/4	0.0080
28	संतोष, कमलेश, विद्या, अशोक पिता फूलचंद्र ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	994	0.0130
29	अवधबिहारी पिता पालूराम ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	995/1	0.0020
30	राजेन्द्र, लक्ष्मी प्रसाद, सुरेश, मथुरा पिता लल्लू ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	995/2	
31	रामाधार पिता रामलखन ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	995/3/1	
32	कमलाकांत पिता रामलखन ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	995/3/2	
33	ललन प्रसाद पिता रामलखन ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	995/3/3	
34	संतोष, कमलेश, विद्या, अशोक पिता फूलचंद्र ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	995/4	
35	सिद्धगोपाल, कृष्णगोपाल, रामनरेश, बुटौआ, दुअसिया, केसरिया पिता रामप्रताप ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	545	1.3230
36	खसरे में नाम विलोपित है।	545/2/3	
37	खसरे में नाम विलोपित है।	545/2/8	
38	सिद्धगोपाल, कृष्णगोपाल, रामनरेश, बुटौआ, दुअसिया, केसरिया पिता रामप्रताप ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	546	0.0220
39	खसरे में नाम विलोपित है।	546/2/3	
40	खसरे में नाम विलोपित है।	546/2/8	
41	सिद्धगोपाल, कृष्णगोपाल, रामनरेश, बुटौआ, दुअसिया, केसरिया पिता रामप्रताप ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी	547	0.3410
42	खसरे में नाम विलोपित है।	547/2/1	
43	खसरे में नाम विलोपित है।	547/2/3	
44	खसरे में नाम विलोपित है।	547/2/8	
कुल योग रकबा हे.में-			4.4840

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद—सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0.644/भू-अर्जन/25 दि0 26/05/2025
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	मतरीबरमेन्द्र	0.3588	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला-सतना (म0प्र0)	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर -2 के निर्माण हेतु
क्र0	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम			खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	2			3	5
1	रामदुलारी पत्नी बलदेव प्रसाद सियाशरण जितेंद्र लवकेश रजनेश मुकेश पिता बलदेव प्रसाद लोधी सा0 देह भुमि स्वामी			48	0.0670
2	गुरु प्रसाद पिता श्यामसुन्दर ब्रा0 सा0 देह भुमि स्वामी			167/127	0.0140
3	मुन्नी बाई पति विश्राम संध्या रीना इन्द्रजीत पिता विश्राम लोधी सा0 देह भुमि स्वामी			174/134/1	0.0060
4	सुन्दरलाल पिता दीनबन्धु लोधी सा0 देह भुमि स्वामी			174/134/2	
5	विद्या बाई पति राजेश कुमार राधा पिता राजेश कुमार प्राज्ञेन्द्र ना0 रोशनी ना0 त्रिशा ना0 बादल ना0 पिता राजेश कुमार संरक्षक विद्या बाई 1/2 बिहारीलाल लवलेश श्यामकली पिता रामनरायण लोधी 1/4 सा0 देह भुमि स्वामी			174/134/3	
6	राजकुमार पिता रामनाथ सिंगरौल सा0 पिपरी कला भुमि स्वामी			255	0.0400
7	झब्बु 1/6 रामबहोर 1/6 रामप्रकश 1/6 भगवानदीन 1/6 लेदही 1/6 अगशिया 1/6 पिता गणेशा कोटवार सा0 देह भुमि स्वामी			284/242	0.0080
8	झब्बु 1/6 रामबहोर 1/6 रामप्रकश 1/6 भगवानदीन 1/6 लेदही 1/6 अगशिया 1/6 पिता गणेशा कोटवार सा0 देह भुमि स्वामी			286/244	0.0400
9	महेश प्रताप सिंह पिता राममवन सिंह सा0 देह भुमि स्वामी			358	0.0400
10	बाल्मीक प्रसाद पिता राममनोहर लोधी सा0 देह भुमि स्वामी			469/2	0.0700
11	सूरजदीन पिता गंगा सा0 देह भुमि स्वामी			287/245	0.0140
				योग	0.2990
				बीस प्रतीशत अतिरिक्त भूमि	0.0598
				कुल योग	0.3588

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 — अ82/24-25 पत्र क्र0.645/भू-अर्जन/25 दि0 26/03/2025
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	पपरेगा	0.0814	कार्यालयन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला-सतना (म0प्र0)	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करहीखुर्द माइनर के निर्माण हेतु
क0	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम			खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.में
1	2			3	4
1	रामनरेश पिता महादेव सोनार सा0 उंचेहरा भुमिस्वामी			387	0.0030
2	रामनरेश पिता महादेव सोनार सा0 उंचेहरा भुमिस्वामी			388	0.0260
3	शिवलाल पुत्र शिवबालक ब्रा0 सा0 देह भुमिस्वामी			526	0.0450
				योग	0.0740
				दस प्रतिशत अतिरिक्त भूमि	0.0074
				कुल योग रकबा हे.में-	0.0814

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0.646/भू-अर्जन/25 दि0 26/03/2025
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	गोबरांवखुर्द	0.2292	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला-सतना (म0प्र0)	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु
क0	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम			खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
1	2			3	4
1	सुखेन्द्र सिंह पिता लल्ली सिंह सा0 देह भुमि स्वामी			212/1	0.1404
2	हर्ष सिंह ना0पिता ददन सिंह संरक्षक पिता ददन सिंह सा0 देहभुमि स्वामी			381/1	0.0680
	योग				0.2084
	दस प्रतिशत अतिरिक्त भूमि				0.0208
	कुल योग				0.2292

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-143-भू-अर्जन-2025

देवास, दिनांक 1 अप्रैल 2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क. 1 में "नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना" के अन्तर्गत वाल्व चेम्बर निर्माण हेतु ग्राम देवर तहसील व जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची 1

ग्राम- देवर

तहसील- देवास (ग्रामीण)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना" (वाल्व चेम्बर निर्माण के लिए)	0.750	--	0.750

अनुसूची 2

"नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत ग्राम देवर तहसील देवास (ग्रामीण)

की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- देवर

तहसील- देवास (ग्रामीण)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	नंदकिशोर पिता बालूराम जाति ब्राम्हण	292	0.750	--	0.750	0.000361	--	0.000361
प्रभावित कुल क्षेत्रफल							0.000361	

क्र.-146-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 1 में "नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना" के अन्तर्गत वाल्व चेम्बर निर्माण हेतु ग्राम बड़ा मालसापुरा तहसील व जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची 1

ग्राम- बड़ा मालसापुरा

तहसील- देवास (ग्रामीण)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना" (वाल्व चेम्बर निर्माण के लिए)	0.000576	--	0.000576

अनुसूची 2

"नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत ग्राम बड़ा मालसापुरा

तहसील देवास (ग्रामीण)

की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- बड़ा मालसापुरा

तहसील- देवास (ग्रामीण)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	रमेश पिता लालजी जाति खाती	25	0.55	--	0.55	0.000576	--	0.000576
प्रभावित कुल क्षेत्रफल								0.000576

क्र.-149-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क. 1 में "नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना" के अन्तर्गत वाल्व चेम्बर निर्माण हेतु ग्राम पुवाल्डा तहसील व जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूचि 1

ग्राम- पुवाल्डा

तहसील- देवास (ग्रामीण)

क.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना" (वाल्व चेम्बर निर्माण के लिए)	0.000361	--	0.000361

अनुसूचि 2

"नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत ग्राम पुवाल्डा तहसील देवास (ग्रामीण)

की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- पुवाल्डा

तहसील- देवास (ग्रामीण)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	सलीम पिता दाउद पटेल जाति नायता	95	0.1200	--	0.1200	0.000361	--	0.000361
प्रभावित कुल क्षेत्रफल							0.000361	

क्र.-136-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में "हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत "पंप हाऊस-6 के निर्माण" हेतु ग्राम नागदा तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "पंप हाऊस-6 के निर्माण" के लिए "हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पंप हाऊस-6 के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची 1

ग्राम- नागदा

तहसील- देवास नगर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"पंप हाऊस-6 के निर्माण" हेतु "हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु पंप हाऊस निर्माण	3.807	-	3.807

अनुसूची 2

"पंप हाऊस-6 के निर्माण" हेतु

"हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु पंप हाऊस-6 के निर्माण" के अन्तर्गत ग्राम नागदा की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- नागदा

तहसील- देवास नगर)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	जाकीर पिता नवाब जाति मुसलमान	1050/1	0.200	-	0.200	0.070	-	
		1051/1	0.110		0.110	0.060		
2.	शाकीर पिता नवाब जाति मुसलमान	1051/2	0.310	-	0.310	0.280		

3.	जिबराईल पिता नवाब जाति मुसलमान	1051/3 1051/9 1056/4	0.310 0.160 0.048	—	0.310 0.160 0.048	0.310 0.160 0.048	—	
4.	वारिस पिता सत्तार जाति मुसलमान	1051/10 1056/3	0.215 0.044	—	0.215 0.044	0.215 0.044	—	
5.	अब्दुलगनी पिता सत्तार जाति मुसलमान	1051/11 1056/2	0.100 0.159	—	0.100 0.159	0.100 0.159	—	
6.	मांगीलाल पिता बापू जाति खाती	1052/1 1052/3 1052/5	0.084 0.137 0.232	—	0.084 0.137 0.232	0.084 0.137 0.232	—	
7.	प्रकाश पिता रामचन्द्र जाति खाती	1052/2	0.190	—	0.190	0.190		
8.	विष्णु पिता हजारीलाल जाति खाती	1052/4	0.172	—	0.172	0.172		
9.	देवकरण पिता हजारीलाल जाति खाती	1052/6	0.116	—	0.116	0.116		
10.	कैलाश पिता राजाराम जाति तंबोली	1054/2/1	0.414	—	0.414	0.200		
11.	सत्यनारायण पिता राजाराम जाति तंबोली	1054/2/2	0.201	—	0.201	0.120		
12.	दिनेश पिता राजाराम जाति तंबोली	1054/2/3	0.202	—	0.202	0.120		
13.	मनोहर पिता राजाराम जाति तंबोली	1054/2/4	0.202	—	0.202	0.120		
14.	गोपाल पिता राजाराम जाति तंबोली	1055/1	0.372	—	0.372	0.170		
15.	कलाबाई पति कैलाश जाति तंबोली	1055/2	0.121	—	0.121	0.121		
16.	जमील पिता सत्तार जाति मुसलमान	1056/1	0.259	—	0.259	0.259		
17.	महेश उर्फ आलोक पिता रामेश्वर दिनेश पिता रामेश्वर जाति तंबोली	1057/2	0.126	—	0.126	0.126		
18.	अनसुईयाबाई पति रामनारायण जाति तंबोली	1057/1, 1080, 1081, 1082	0.125 0.032 0.077 0.049	—	0.125 0.032 0.077 0.049	0.125 0.012 0.027 0.010		
19.	केसरीमल पिता आत्माराम जाति तंबोली	1057/3	0.020	—	0.020	0.020		
	कुल	19	29	—	4.787	3.807		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-2475-भू-अर्जन-2025

छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 अप्रैल 2025

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013' की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	तामिया
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- डुंडी माजीपानी प0ह0न-16 ब.न.-45 ख रा.नि.म.-देलाखारी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-01.641 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	7/1	0.029
2	8/1	0.093
3	11/1	0.120
4	9/1	0.234
5	10/1	0.245
6	31/2/1	0.920
	योग :-	कुल रकबा-01.641 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत वन परिक्षेत्र देनवा बफर से विस्थापितों की निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उपसंचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पिपरिया जिला नर्मदापुरम के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 24th March 2025

No.C-2528-I-7-3-2024 (Part-I).—The following list of Holidays and Vacations for the District Judiciary during the Year 2025 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, is hereby published for general information :—

Sr. No. (1)	Name of Holidays (2)	Dates as per Gregorian Calendar (3)	Days of Week (4)
1.	New Year's Holiday	01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025	Wednesday Thursday Friday
2.	Makar Sankranti	14.01.2025	Tuesday
3.	Basant Panchami	03.02.2025	Monday
4.	Mahashivratri	26.02.2025	Wednesday
5.	Holi (Dhuredi)	14.03.2025	Friday
6.	Id-UI-Fitar	31.03.2025	Monday
7.	Mahaveer Jayanti	10.04.2025	Thursday
8.	Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi	14.04.2025	Monday
9.	Good Friday	18.04.2025	Friday
10.	Buddh Purnima	12.05.2025	Monday
11.	Raksha Bandhan	09.08.2025	Saturday
12.	Independence Day	15.08.2025	Friday
13.	Ganesh Chaturthi	27.08.2025	Wednesday
14.	Id-milad un-Nabi	05.09.2025	Friday
15.	Dussehra Holidays (30 th September to 03 rd October 2025)		
	Mahaashtami	30.09.2025	Tuesday
	Mahanavmi	01.10.2025	Wednesday
	Gandhi Jayanti/Dussehra	02.10.2025	Thursday
16.	Deepawali Holidays (20 th October to 23 rd October, 2025)	03.10.2025	Friday
	Deepawali	20.10.2025	Monday
	Govardhan Pooja	21.10.2025	Tuesday
	(Included in Deepawali Holidays)	22.10.2025	Wednesday
		23.10.2025	Thursday

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Gurunanak Jayanti	05.11.2025	Wednesday
18.	Christmas Day	25.12.2025	Thursday
Total : 26 Days			

NOTES :-

1. Id-Ul-Zuha Dated 7th June 2025, Janmashtmi dated 16th August 2025 falls on Saturdays and Republic Day dated 26th January, 2025, Gudi Padwa / Chaitichand dated 30th March 2025, Ramnavmi dated 6th April, 2025, Moharrum dated 6th July, 2025, Sarv Pitra Moksha Amavasya dated 21st September, 2025 falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 4th & 18th January, 1st & 15th February, 1st & 15th March, 5th & 19th April, 3rd May, 7th & 21st June, 5th & 19th July, 2nd & 16th August, 6th & 20th September, 4th & 18th October, 1st & 15th November, 6th & 20th December will be closed Saturdays of District Judiciary.
3. Saturday falling on 17th May, 2025 shall be working day for the District Judiciary.
4. Summer Vacation of District Judiciary shall be from 19th May, 2025 to 13th June, 2025 and Winter Vacation from 24th December, 2025 to 31st December, 2025.
5. District Judiciary will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court.
6. The Principal District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
7. Due to uncertainty relating to Id-Ul-Fitar, Id-Ul-Zuha, Moharrum, Id-Milad un-Nabi or any other holiday, the same may be modified as directed by Hon'ble Chief Justice.

By order of the high court,

DHARMINDER SINGH, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र.-A-1021-दो-2-67-2022.- श्री शरद भामकर, प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री शरद भामकर, प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शरद भामकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 3 मार्च 2025

क्र.-B-855-दो-2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 17 से 22 मार्च 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 मार्च 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति के साथ, दिनांक 13 मार्च 2025 की शाम से दिनांक 24 मार्च 2025 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M), के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, डी. आर.-कम-पी. पी. एस.

जबलपुर, दिनांक 19 फरवरी 2025

क्र.-A-1138-दो-2-27-2024.- श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 4 से 5 फरवरी 2025 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वर्षा शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, डी. आर.-कम-पी. पी. एस.

जबलपुर, दिनांक 3 मार्च 2025

क्र.-A-1583-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री संजय कृष्ण जोशी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का क्रमांक 1127-इक्कीस-ब(एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्डिका क्रमांक-(i)(ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री जोशी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2025 को उनके खाते में 255 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 332 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने के 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 255 दिवस
- (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 90
(90/2=45 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).

क्र.-A-1585-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का क्रमांक 1127-इक्कीस-ब(एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्डिका क्रमांक-(i)(ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2025 को उनके खाते में 287 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 430 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने के 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 287 दिवस
- (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 26
(26/2=13 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).

क्र.-A-1587-दो-2-54-2021.- श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 फरवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.-A-1590-दो-2-43-2020.- श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 3 से 6 मार्च 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-1592-दो-2-23-2020.- श्री के.एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 3 से 6 मार्च 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के.एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के.एन. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-1594-दो-2-13-2019.- श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 फरवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-1599-दो-2-43-2020.- श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 10 से 12 फरवरी 2025 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 12 फरवरी 2025 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, रजिस्ट्री द्वारा उक्त दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र.-A-1601-दो-2-18-2025.- श्री शिवबालक साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिवबालक साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवबालक साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-851-दो-2-56-2022.- सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 5 से 8 फरवरी 2025 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र.-B-853-दो-2-60-2024.- श्री गंगाचरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 30 दिसम्बर 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री गंगाचरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गंगाचरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-862-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री महेश भदकारिया, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल पत्र क्रमांक 1127-इक्कीस-ब(एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्डिका क्रमांक-(i)(ii) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री महेश भदकारिया की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2017 को उनके खाते में 240 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 230 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 240 दिवस
(ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 120
(120/2=60 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).

क्र.-B-864-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री महेश भदकारिया, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को सेवानिवृत्त दिनांक 31 दिसम्बर 2017 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई/9343, दिनांक 22 दिसम्बर 2017 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय, रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

क्र.-B-866-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक 1127-इक्कीस-ब(एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्डिका क्रमांक (i)(ii) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त की सेवानिवृत्ति दिनांक 29 फरवरी 2020 को उनके खाते में 225 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 560 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 225 दिवस
- (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 150 (150/2=75 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन)

क्र.-B-868-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को सेवानिवृत्ति दिनांक 29 फरवरी 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/1748, दिनांक 7 मार्च 2020 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय, रिटपिटीशन (सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

क्र.-C-1890-दो-2-22-2022.- श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 8 से 17 फरवरी 2025 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश कुमार मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-1892-दो-2-82-2023.- श्री अजय कांत पाण्डेय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 28 से 29 जनवरी 2025 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-1895-दो-2-67-2023.- श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 3 से 7 मार्च 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-1897-दो-2-43-2020.- श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 10 से 12 फरवरी 2025 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 12 फरवरी 2025 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र.-C-1902-दो-2-57-2020.- श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 17 से 18 फरवरी 2025 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.-C-1904-दो-2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 17 से 21 फरवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.-C-1906-दो-2-78-2021.- श्री सुशील कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 3 से 6 मार्च 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-1908-दो-2-30-2023.- श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक दो दिन के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के एवं दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2024 तक की दो वर्ष की ब्लांक अवधि के लिये एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.-C-1910-दो-2-37-2020.- श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 21 से 30 दिसम्बर 2024 तक शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, ब्लाक वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2025

क्र.-B-913-दो-2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 27 से 28 फरवरी 2025 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-915-दो-2-19-2019.- श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर-मालवा को दिनांक 19 से 21 मार्च 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर-मालवा को आगर-मालवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-917-दो-2-7-2019.- श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 10 से 14 फरवरी 2025 तक, पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

2. दिनांक 10 से 11 फरवरी 2025 तक, दो दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 9 से 12 फरवरी 2025 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.-C-1952-दो-2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जावे:-

1. दिनांक 22 फरवरी 2025 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।

2. दिनांक 22 से 28 फरवरी 2025 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-1954-दो-2-24-2025.- श्री राजेश कुमार देवलिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 7 से 14 फरवरी 2025 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार देवलिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार देवलिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-1956-दो-2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2025 तक छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-1958-दो-2-5-2023.- श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 19 से 22 फरवरी 2025 तक, चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-1960-दो-2-23-2010.-श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2025 तक, छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2025

क्र.-A-1652-दो-2-42-2022.-श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर को दिनांक 11 से 13 मार्च 2025 तक, तीन दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश दिनांक 10 मार्च 2025 की शाम से दिनांक 17 मार्च 2025 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, के पद पर कार्यरत रहती.

क्र.-A-1654-दो-2-29-2022.- श्री ललित किशोर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को ब्लाक वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि हेतु होम एल.टी.सी. सुविधा का लाभ लेने के कारण, हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.-A-1659-दो-2-33-2024.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 3 से 4 मार्च 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-1661-दो-2-35-2020.- श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 19 से 22 फरवरी 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-1663-दो-2-15-2023.- श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 17 से 22 मार्च 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 मार्च 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शेख सलीम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2025

क्र.-B-1084-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री श्रीराम दिनकर, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का क्रमांक 1127-इक्कीस-ब(एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्डिका क्रमांक-(i)(ii) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री श्रीराम दिनकर, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2018 को उनके खाते में 214 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 536 अर्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 214 दिवस
- (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 172
(172/2=86 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन)

क्र.-B-1083-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री श्रीराम दिनकर, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2018 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2762, दिनांक 6 अप्रैल 2018 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय, रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.-B-1088-दो-2-40-2020.- श्री पदमेश शाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 10 से 13 मार्च 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 मार्च 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पदमेश शाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पदमेश शाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-1092-दो-2-34-2019.- श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 फरवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रियदर्शन शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-1094-दो-2-26-2022.- श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ को दिनांक 19 से 22 फरवरी 2025 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 23 से 24 फरवरी 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ को राजगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-1096-दो-2-73-2023.- श्री अशोक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दिनांक 10 से 13 मार्च 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-1098-दो-2-57-2024.- श्री सुधीर कुमार चौधरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा को दिनांक 5 से 8 मार्च 2025 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में, दिनांक 4 मार्च 2025 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार चौधरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधीर कुमार चौधरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-1100-दो-2-73-2023.- श्री अशोक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दिनांक 17 से 28 फरवरी 2025 तक, बारह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-1102-दो-2-31-2023.- श्री विजय सिंह कावछा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश को दिनांक 10 से 13 मार्च 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश पूर्व में दिनांक 9 मार्च 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 मार्च 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विजय सिंह कावछा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह कावछा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-1104-दो-2-17-2024.- श्री आशुतोष मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3/ए 19/3 -इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 29 जून 2022 से 28 जून 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-1106-दो-2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 3 से 4 मार्च 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-2222-दो-2-35-2020.- श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 27 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-2224-दो-2-61-2021.- श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 24 से 28 फरवरी 2025 तक, चार दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 24 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक, आठ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-2228-दो-2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 24 से 25 फरवरी 2025 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 फरवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार,
एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, डी. आर.-कम-पी. पी. एस.